पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(LHDCP)

के

परिचालन दिशानिर्देश

पशुधन स्वास्थ्य प्रभाग

मई 2025

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**Department of Animal Husbandry and Dairying**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying**

**भारत सरकार**

**Government of India**

**विषय**

[1. योजना का सिंहावलोकन 5](#_Toc202973699)

[**1.1** **प्रस्तावना** 5](#_Toc202973700)

[**1.2** **योजना के उद्देश्य** 5](#_Toc202973701)

[**1.3** **योजना के घटक** 5](#_Toc202973702)

[**1.4** **एलएचडीसीपी के अनुमानित परिणाम** 7](#_Toc202973703)

[2. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) 8](#_Toc202973704)

[**2.1** **प्रमुख विशेषताएं** 8](#_Toc202973705)

[**2.2** **रणनीति** 8](#_Toc202973706)

[**2.3 निधियन पैटर्न** 8](#_Toc202973707)

[**2.4 प्रमुख कार्यकलाप** 9](#_Toc202973708)

[**2.5** **अन्य हितधारकों की भूमिका** 12](#_Toc202973709)

[**2.6** **प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यकलापों में प्रयोगशालाओं की भूमिका** 13](#_Toc202973710)

[**2.7** **राज्य गोपशु फार्मों और विश्वविद्यालय गोपशु फार्मों की भूमिका** 14](#_Toc202973711)

[**2.8** **राष्ट्रीय पशु रोग रेफरल विशेषज्ञ प्रणाली** 14](#_Toc202973712)

[3. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LH&DC) 15](#_Toc202973713)

[3.1. गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP) 15](#_Toc202973714)

[3.2. एएससीएडी 17](#_Toc202973715)

[3.3. पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण (ESVHD) – मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (MVU) 21](#_Toc202973716)

[4. पशु औषधि केंद्र 25](#_Toc202973717)

[5. एलएचडीसीपी की निगरानी 25](#_Toc202973718)

[5.1. राष्ट्रीय स्तर 25](#_Toc202973719)

[5.2. तकनीकी सलाहकार समिति 26](#_Toc202973720)

[5.3. राज्य स्तरीय समिति 27](#_Toc202973721)

[5.4. जिला स्तरीय निगरानी समिति 29](#_Toc202973722)

[5.5. ब्‍लॉक स्तरीय निगरानी समिति 30](#_Toc202973723)

[6. आंतरिक निगरानी 32](#_Toc202973724)

[7. रिपोर्टिंग तंत्र 32](#_Toc202973725)

[8. कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और उसकी निगरानी के लिए सलाहकारों की नियुक्ति 32](#_Toc202973726)

[9. कार्यक्रम लॉजिस्टिक्स एजेंसी (PLA) नियुक्‍त करना 33](#_Toc202973727)

[10. योजना का मूल्यांकन 34](#_Toc202973728)

[11. अनुबंध 35](#_Toc202973729)

[अनुबंध-1: एनएडीसीपी-एफएमडी लागत मानदंड 35](#_Toc202973730)

[अनुबंध-2: एनएडीसीपी- ब्रुसेलोसिस लागत मानदंड   35](#_Toc202973731)

[अनुबंध-3: पेस्ट डेस पेटिट्स-रुमिनेंट्स (पीपीआर-ईपी) लागत मानदंड 36](#_Toc202973732)

[अनुबंध-4: क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) लागत मानदंड 36](#_Toc202973733)

[अनुबंध-5: एमवीयू लागत मानदंड 37](#_Toc202973734)

[अनुबंध-6: एएससीएडी (ASCAD) लागत मानदंड 39](#_Toc202973735)

[अनुबंध 7: एनएडीसीपी (एफएमडी) – वार्षिक कार्य योजना के लिए टेम्पलेट 41](#_Toc202973736)

[अनुबंध 8 : एनएडीसीपी (ब्रुसेलोसिस) – वार्षिक कार्य योजना के लिए टेम्पलेट 46](#_Toc202973737)

[अनुबंध 9: सीएडीसीपी (पीपीआर) – वार्षिक कार्य योजना के लिए टेम्पलेट 49](#_Toc202973738)

[अनुबंध 10: सीएडीसीपी (सीएसएफ) – वार्षिक कार्य योजना के लिए टेम्पलेट 52](#_Toc202973739)

[अनुबंध 11: एएससीएडी – राज्य प्रस्ताव के लिए टेम्पलेट 55](#_Toc202973740)

[अनुबंध 12: एमवीयू अनुबंध राज्य प्रस्ताव प्रारूप 63](#_Toc202973741)

[अनुबंध 13: वैक्सीन गुणवत्ता परीक्षण की एसओपी (SOP) 73](#_Toc202973742)

[अनुबंध-14: झुंड (Flock) पंजीकरण से संबंधित एसओपी (SOP) 78](#_Toc202973743)

[अनुबंध-15:  एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाओं की सूची 81](#_Toc202973744)

[अनुबंध-16: प्रमुख पशुधन रोगों, टीकाकरण कार्यक्रम और उनके प्रभावों का सारांश 87](#_Toc202973745)

**संक्षिप्ताक्षरों की सूची**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACS** | अपर मुख्य सचिव | **LH** | पशुधन स्वास्थ्य |
| **AH** | पशुपालन | **MVU** | मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई |
| **A-HELP** | पशु स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन का विस्तार | **NADCP** | राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम |
| **AMR** | एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध | **NADRES** | राष्ट्रीय पशु रोग रेफरल विशेषज्ञ प्रणाली |
| **AVD** | वास्तविक टीकाकरण तिथि | **NDLM** | राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन |
| **BVO** | ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी | **NE** | उत्तर-पूर्व |
| **CBO** | समुदाय आधारित संगठन | **NIFMD** | राष्ट्रीय खुरपका और मुंहपका रोग संस्थान |
| **CoA** | विश्लेषण प्रमाण पत्र | **NGO** | गैर-सरकारी संगठन |
| **CSS** | केंद्र प्रायोजित योजनाएँ | **NIVEDI** | राष्ट्रीय पशुरोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान |
| **CSSNIAH** | चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान | **NSP** | गैर संरचनात्मक प्रोटीन |
| **CS** | सहकारी समितियाँ | **OIE** | अंतर्राष्ट्रीय डेस एपिज़ूटीज़ कार्यालय |
| **CVE** | सतत पशु चिकित्सा शिक्षा | **PED** | व्यावसायिक दक्षता विकास |
| **DAHD** | पशुपालन और डेयरी विभाग | **PLA** | कार्यक्रम लॉजिस्टिक एजेंसी |
| **DDG** | उप महानिदेशक | **PM-KSK** | प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र |
| **DDL** | रोग निदान प्रयोगशाला | **PRI** | पंचायती राज संस्थाएँ |
| **DFZ** | रोग मुक्त क्षेत्र | **QC** | गुणवत्ता नियंत्रण |
| **DIVA** | संक्रमित और टीकाकृत पशुओं के बीच अंतर | **SIA** | राज्य कार्यान्वयन एजेंसी |
| **DMU** | जिला निगरानी इकाई | **SMU** | राज्य निगरानी इकाई |
| **EC-FMD** | खुरपका और मुँहपका रोग पर अधिकार प्राप्त समिति | **SNA** | राज्य नोडल एजेंसी |
| **FMD** | खुरपका और मुँहपका रोग | **SOP** | मानक संचालन प्रक्रियाएँ |
| **GLP** | अच्छी प्रयोगशाला प्रथाएँ | **ToT** | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण |
| **GMP** | अच्छी विनिर्माण प्रथाएँ | **TAD** | सीमापारीय (Transboundary) पशु रोग |
| **GOI** | भारत सरकार | **TAC** | तकनीकी सलाहकार समिति |
| **HOD** | विभागाध्यक्ष/प्रभाग | **UC** | उपयोगिता प्रमाणपत्र |
| **HQ** | मुख्यालय | **UID** | विशिष्ट पहचान |
| **IA** | कार्यान्वयन एजेंसी | **ULB** | शहरी स्थानीय निकाय |
| **ICAR** | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | **UT** | संघ राज्य क्षेत्र |
| **IEC** | सूचना, शिक्षा और संचार | **VCI** | भारतीय पशु चिकित्सा परिषद |
| **IP** | भारतीय फार्माकोपिया | **VNT** | वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट |
| **IVRI** | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान | **VS** | पशु चिकित्सा सेवाएँ |
| **LH&DC** | पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण |  |  |

# 1. योजना का सिंहावलोकन

* 1. **प्रस्तावना**

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) भारत में एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश की बड़ी पशुधन आबादी के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। विश्व में सबसे बड़ी पशुधन आबादी को बनाए रखना न केवल पशुओं के कल्याण के लिए बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और लाखों पशुपालकों की आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम रोग की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन पर जोर देता है, जिससे पशुपालन क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता बढ़ती है।

भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) का उद्देश्य टीकाकरण, उन्नत पशु चिकित्सा सेवा, बेहतर रोग निगरानी और बेहतर पशु चिकित्सा अवसंरचना के माध्यम से पशु स्वास्थ्य के जोखिम को कम करना है। कार्यक्रम के प्रमुख कार्यकलापों में खुरपका और मुंहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर CSF) जैसे रोगों के लिए टीकाकरण, किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी के लिए एमवीयू का संचालन, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, विदेशी और जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना और पीएम-किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) तथा सहकारी समितियों के माध्यम से जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिए पशु औषधि केंद्रों की स्थापना करना शामिल है।

* 1. **योजना के उद्देश्य**
* वर्ष 2030 तक खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) को नियंत्रित करना और उसका उन्मूलन करना
* टीकाकरण के माध्यम से बोवाइन ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना
* वर्ष 2030 तक पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट (PPR) को नियंत्रित करना और उसका उन्मूलन करना
* टीकाकरण के द्वारा क्लासिकल स्वाइन ज्वर (CSF) को नियंत्रित करना
* मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVU) के माध्यम से किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना
* पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के अनुसार सहायता करके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, जूनोटिक, विदेशी और आकस्मिक रोगों को नियंत्रित करना
* पीएम-किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एथनो-पशु चिकित्सा दवाओं सहित जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं सस्ती कीमत पर सुलभता से उपलब्ध कराना।
  1. **योजना के घटक**

योजना के नीचे दर्शाए गए अनुसार तीन घटक हैं।

A diagram of a health and disease control

AI-generated content may be incorrect.

**तालिका: एलएचडीसीपी योजना के घटक और उप-घटक**

**1.3.1 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)**

एनएडीसीपी का उद्देश्य टीकाकरण के माध्यम से गोपशुओं, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों में खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) को नियंत्रित करना और बाद में उसका उन्मूलन करना और साथ ही बोवाइन ब्रुसेलोसिस का भी नियंत्रण करना है।

**1.3.2 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LH&DC)**

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LH&DC) का उद्देश्य रोगनिरोधी टीकाकरण, क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, जूनोटिक, विदेशी और आकस्मिक रोगों का नियंत्रण करके पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना है। इस योजना के तीन उप-घटक हैं जो इस प्रकार हैं:

* गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP)
* पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (ESVHD-MVU)
* पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD)

**क. गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP)** का उद्देश्य टीकाकरण के द्वारा भेड़ और बकरियों में पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) रोग को नियंत्रित करना और उन्मूलन करना तथा सूअरों में क्लासिकल स्वाइन ज्वर (CSF) रोग को नियंत्रित करना है। इस उप-घटक में दो कार्यकलाप हैं अर्थात पीपीआर-ईपी और सीएसएफ।

* **पेस्टे डेस पेटिट्स रूमीनेंट्स उन्मूलन कार्यक्रम (PPR-EP)**

पीपीआर, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं (भेड़ और बकरी) का एक संक्रामक वायरल रोग है, जो उनके पशु झुंड में 70-90% मृत्यु दर का कारण बनता है। इसका उद्देश्य सभी पात्र भेड़ और बकरी आबादी के रोगनिरोधी कार्पेट टीकाकरण के माध्यम से झुंड प्रतिरक्षा तैयार करके पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स को नियंत्रित करना और उसका उन्मूलन करना है।

टीकाकरण कार्यक्रम के तहत प्रवासी/झुंड के पशुओं को भी कवर किया जाएगा।

* **क्लासिकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम (CSF)**

सीएसएफ सूअरों का एक एन्ज़ूटिक (enzootic) वायरल रोग है, जो सूअरों के झुंड में भारी मृत्यु दर का कारण बनता है और सूअर पालन उद्योग तथा छोटे किसानों को भारी नुकसान पहुंचाता है।

इसका उद्देश्य रोगनिरोधी टीकाकरण के माध्यम से झुंड प्रतिरक्षा तैयार करके सूअरों में सीएसएफ को नियंत्रित करना है।

**ख. पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (ESVHD-MVU)**

ईएसवीएचडी-एमवीयू में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (MVU) चला कर किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए की परिकल्पना की गई है।

**ग. पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD)**

एएससीएडी के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पशु स्वास्थ्य के जोखिम को कम करने के लिए जूनोटिक महत्व के रोगों, पशुधन और पोल्ट्री के विदेशी, उभरते और फिर से उभरने वाले रोगों और एनएडीसीपी और सीएडीसीपी के तहत कवर किए गए रोगों के अलावा राज्य प्राथमिकता वाले अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एएससीएडी में ब्लॉक, जिलों और राज्य स्तर पर पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना भी शामिल है। साझा पैटर्न पर जैविक उत्पादन इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके तहत निगरानी और पशुओं को मारने के लिए किसानों को मुआवजा जैसे नियंत्रण और रोकथाम कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उभरते और विदेशी रोगों के नियंत्रण के लिए भी समर्थन दिया जाता है। इस कार्यकलाप में विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकने के लिए निगरानी और संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं, साथ ही पशुधन/पोल्ट्री में होने वाले/पुनः उभरने वाले रोग भी शामिल हैं। एएससीएडी के तहत, अनुसंधान और नवाचार, प्रचार, जागरूकता, प्रशिक्षण और संबद्ध कार्यकलापों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

* + 1. **पशु औषधि**

एलएचडीसीपी के पशु औषधि घटक को पीएम-किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से एथनो-वेटरनरी दवाओं (EVM) सहित सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिए शामिल किया गया है। इस घटक को औषध विभाग और सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाएगा।

* 1. **एलएचडीसीपी के अनुमानित परिणाम**

1. **पशु रोग की रोकथाम और नियंत्रण**

* एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रमुख पशुधन रोगों को नियंत्रित करना और उनका उन्मूलन करना।

1. **एफएमडी मुक्त क्षेत्रों/राज्य तैयार करना**

* खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) मुक्त क्षेत्र/राज्य बनाना।
* टीकाकरण से पहले और बाद में बेहतर सीरोसर्विलांस

1. **रोजगार सृजन**

* विस्तारित पशु चिकित्सा सेवाओं, टीकाकरण अभियान और रोग प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से नौकरियों का सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना।

1. **मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करना**

* जूनोटिक रोगों के संक्रमण की संभावना को कम करना, मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना।

**ड़. किसानों के द्वार पर उन्नत पशु चिकित्सा सेवाएँ**

* एमवीयू और कॉल सेंटर के संचालन के माध्यम से, किसानों के द्वार पर उन्नत पशु चिकित्सा सेवाएँ।

**च. एथनो-पशु चिकित्सा दवाओं सहित जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता**

* पशुपालकों के लिए किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता, अर्थात एथनो-पशु चिकित्सा दवाओं सहित जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएँ।

# 2. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)

* 1. **प्रमुख विशेषताएं**

इस घटक में, भारत सरकार, एकसमान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के बाद राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के टीके तथा ईयर टैग खरीदती है और उनकी आपूर्ति करती है।

उपरोक्त के अलावा, राज्यों को निम्नलिखित के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: -

* टीकाकरण सहायक उपकरणों की खरीद
* टीकाकरण और ईयर टैगिंग तथा भारत पशुधन पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के लिए टीका लगाने वालों को पारिश्रमिक प्रदान करना
* जागरूकता अभियान चलाना
* वैक्सीन भंडारण और परिवहन के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन अवसंरचना का निर्माण और रखरखाव
* पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय पशु चेक पोस्ट का सुदृढ़ीकरण

राज्य पशुपालन विभाग कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं तथा क्षेत्र में टीकाकरण अभियान चलाते हैं।

एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम की सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस संबंधी कार्यकलापों के लिए आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD) और 32 राज्य एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह, ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम की सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय पशुरोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान (ICAR-NIVEDI) को सहायता प्रदान की जाती है।

* 1. **रणनीति**

1. गुणवत्ता परीक्षण किए गए त्रिसंयोजक (Trivalent) एफएमडी वैक्सीन से सभी पात्र पशुओं का छमाही टीकाकरण
2. पहली बार टीका लगाए गए बछड़ों/बछड़ियों का एक महीने के बाद बूस्टर टीकाकरण
3. किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अधिमानतः 30-45 दिनों का टीकाकरण अभियान
4. दो क्रमिक चरणों के बीच का अंतराल 6 महीने या 180 दिनों से कम होना चाहिए
5. 4 से 8 महीने की मादा बोवाईनों में ब्रुसेलोसिस के लिए  एकबारगी टीकाकरण।
6. संरचित नमूनाकरण योजना के अनुसार टीकाकरण दक्षता का आकलन करने के लिए नियमित सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस।
7. एनएसपी% पॉजिटिविटी (Positivity) को अंततः 1% से कम किया जाना चाहिए।
8. चेक पोस्ट से पशु आवाजाही का विनियमन।
9. सख्त रोग निगरानी, ​​त्वरित प्रकोप जांच के बाद रिंग टीकाकरण, बैरियर टीकाकरण और पशु आवागमन नियंत्रण द्वारा प्रकोप प्रबंधन।
10. प्रभावी प्रोफ़ाईलैक्सिस के लिए वैक्सीन स्ट्रेन का परिसंचारी स्ट्रेन के साथ नियमित मिलान।
11. भारत पशुधन के माध्यम से अनिवार्य रिकॉर्ड रखना - भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम से पशु ट्रेसेबिलिटी और डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड रखना।
12. पड़ोसी राज्यों के साथ टीकाकरण का समन्वय।

**2.3 निधियन पैटर्न**

एनएडीसीपी के तहत, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ सीरोसर्विलांस, सीरोमॉनीटरिंग, पशु आवाजाही नियंत्रण आदि जैसे संबंधित कार्यकलापों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% निधियन (100:0 साझाकरण पैटर्न) प्रदान किया जाता है।

घटक/उप-घटकवार विस्तृत लागत मानदंड **अनुबंध-1** में दिये गए हैं।

**2.4 प्रमुख कार्यकलाप**

**2.4.1 वैक्सीन की गुणवत्ता का नियंत्रण**

भारत एफएमडी और ब्रुसेलोसिस वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा देशी तकनीक से विकसित मल्टीवेलेंट किल्ड (Multivalent Killed) एफएमडी वैक्सीन और फ्रीज-ड्राइड एस-19 ब्रुसेला एबॉर्टस वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है।

सूचीबद्ध विनिर्माताओं द्वारा टीके के उत्पादन के बाद, केंद्र सरकार की नामित प्रयोगशालाओं में सुरक्षा, जीवाणुरहितता और क्षमता के लिए निर्धारित एसओपी का पालन करते हुए इसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। डीएएचडी द्वारा गुणवत्ता अनुरूप वैक्सीन को केंद्रीय रूप से खरीदा जाता है और कोल्ड चेन को सख्ती से बनाए रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किया जाता है।

तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित वैक्सीन गुणवत्ता परीक्षण की एसओपी (SOP) **अनुबंध-I** में संलग्न है।

**2.4.2 कोल्ड चेन अवसंरचना और वैक्सीन का वितरण**

एफएमडी और अन्य पशु टीकों के भंडारण और वितरण के लिए, केंद्र सरकार की 100% सहायता से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ब्लॉक या गांव स्तर तक समर्पित कोल्ड चेन अवसंरचना तैयार की गई है।

वैक्सीन के थोक भंडारण के लिए जिला स्तर पर वॉक इन कोल्ड (WIC) कक्ष स्थापित किए गए हैं। टीकाकरण अभियान से पहले, जिला स्तर से वैक्सीन को रेफ्रिजरेटेड वाहन या एक्टिव कूलिंग बॉक्स (ACB) के माध्यम से उप-जिला स्तर (उप-डिविजन, तालुका, ब्लॉक) तक पहुंचाया जाता है और वहां वांछित तापमान का रखरखाव करते हुये आइस लाईन्ड रेफ्रीजरेटरों (ILR) में रखा जाता है। टीकाकरण अभियान के दौरान, वैक्सीन को आइस जेल पैक के साथ कोल्ड चेन बनाए रखने वाले वैक्सीन वाहकों में टीकाकरण स्थल तक ले जाया जाता है।

राज्य कोल्ड चेन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से कोल्ड चेन ऑडिट और कमी का आकलन करते हैं। वार्षिक कार्य योजना के एक भाग के रूप में आवश्यकता को डीएएचडी को प्रस्तुत किया जाता है और एलएचडीसीपी के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निधियां जारी की जाती हैं।

**2.4.3 टीकाकरण सहायक उपकरणों की खरीद**

टीकाकरण अभियान से पहले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्र सरकार की 100%  सहायता से विभिन्न टीकाकरण सहायक उपकरण जैसे सिरिंज, सुई, दस्ताने आदि खरीदे जाते हैं और टीका लगाने वालों को दिए जाते हैं।

**2.4.4 जागरूकता सृजन**

टीकाकरण के प्रत्येक चरण से पहले, समुदाय, विशेष रूप से किसानों और पशुपालकों में उचित समझ और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर अनिवार्य रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। राज्य, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के साथ मिलकर किसानों को टीकाकरण के महत्व, इसमें शामिल प्रक्रिया और एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर तथा सीएसएफ के प्रकोप को नियंत्रित करने के लाभों के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राज्य, टीकाकरण कार्यक्रम से कम से कम एक महीने पहले गांव-वार विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम तैयार करेंगे, जिसमें टीका लगाने वाले का नाम और संपर्क विवरण भी शामिल होगा जिसे उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और इसकी प्रति डीएएचडी के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन, पीआरआई, यूएलबी आदि के साथ साझा की जाएगी।

**2.4.5 भारत पशुधन पोर्टल (BPP) में पशु पंजीकरण**

टीकाकरण से पहले, नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि जैसे व्यक्तिगत विवरण दर्ज करके पशुपालक का भारत पशुधन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाता है।

फिर टीकाकरण के लिए पात्र सभी गोपशुओं और भैंसों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए ईयर टैग लगाया जाता है और विशिष्ट आईडी के साथ उम्र, लिंग, प्रजाति आदि के आधार पर पशु का भारत पशुधन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाता है। मालिक और पशु पंजीकरण को किसान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है।

भेड़, बकरी और सुअर के मामले में व्यक्तिगत पहचान के बजाय समूह (Flock) पंजीकरण का पालन किया जाता है। समूह पंजीकरण में, भेड़/बकरी/सुअर के पूरे समूह या झुंड को एक विशिष्ट पहचान संख्या वाले कम से कम एक ईयर टैग लगाकर पहचाना जाता है। झुंड पंजीकरण से संबंधित एसओपी (SOP) अनुबंध-II में दी गई है।

बड़े और छोटे पशु दोनों के ईयर टैग बड़े पैमाने पर केंद्रीय रूप से खरीदे जाते हैं। भारत पशुधन पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के बाद ही टीका लगाने वालों को टैगिंग, टीकाकरण और डेटा अपलोडिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। पारिश्रमिक से संबंधित लागत मानदंड अनुबंध-VI में दिये गए हैं।

**2.4.6 टीका लगाना और भारत पशुधन पोर्टल पर अपलोड करना**

मालिक और पशु के पंजीकरण के बाद, पशु को गहन अंतः-पेशी इंजेक्शन (deep intra-muscular injection) द्वारा अधिमानतः गर्दन की मांसपेशी में (कंधे, रीढ़ की हड्डी और गले की नाली (Jugular Groove) के बीच त्रिकोणीय क्षेत्र में) एफएमडी वैक्सीन की उचित खुराक (बोवाइन और सूअर में 2 मिलीलीटर, भेड़ और बकरी में 1 मिलीलीटर) दी जाती है।

बोवाइन पशुओं में एफएमडी टीकाकरण की न्यूनतम पात्र आयु 4 महीने है। पहली बार टीका लगाए गए बछड़े/बछड़ियों को प्राथमिक एफएमडी टीकाकरण के एक महीने बाद बूस्टर खुराक देने की आवश्यकता होती है। टीकाकरण अभियान के दौरान 4 महीने से कम उम्र के बछड़े/बछड़ियों, बीमार पशुओं और गर्भवती पशुओं को छोड़कर सभी बोवाइन पशुओं का टीकाकरण किया जाना चाहिए

प्राथमिक टीकाकरण अभियान के एक महीने बाद आम तौर पर एक मॉपिंग टीकाकरण अभियान की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, गर्भावस्था या अन्य कारणों से छूटे हुए पशुओं को टीका लगाया जा सके। चरवाहा समुदायों के प्रवासी पशुओं और आवारा पशुओं सहित सभी पशुओं को प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए छह महीने के अंतराल पर टीका लगाने की आवश्यकता होती है।

बोवाइन ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए, 4 से 8 महीने की बोवाइन बछियों में 1 मिली लीटर लाइव ऐटेनुएटेड ब्रुसेला एस-19 वैक्सीन को त्वचा के नीचे (Subcutaneously) (त्वचा के नीचे अधिमानतः गर्दन वाले हिस्से में) लगाया जाता है।

टीका लगाने के बाद, संबंधित पशु का टीकाकरण भारत पशुधन पोर्टल में दर्ज किया जाता है।

राज्य पशुपालन विभाग टीकाकरण अभियान से पहले सभी गांवों में टीकाकरण दल/टीकाकरणकर्ता नियुक्त करने, आवश्यक सहायक सामान, रसद, जागरूकता अभियान आदि की व्यवस्था करने को लेकर बारीकी से योजना बनाने की अवश्यकता होती है।

**2.4.7 सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस**

टीका लगाए गए पशुओं की आबादी में टीकाकरण कार्यक्रम की प्रभावकारिता को मापने और सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा (Protective Immunity) के स्तर का आकलन करने के लिए, भा.कृ.अ.प.- राष्ट्रीय पशुरोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान (ICAR-NIVEDI) द्वारा राज्य-वार नमूनाकरण योजना तैयार की गई है। स्तरीकृत नमूनाकरण योजना प्रत्येक गांव (महामारी विज्ञान इकाई) में प्रत्येक आयु समूह और पशुओं की प्रत्येक प्रजाति से एकत्र किए जाने वाले नमूनों की संख्या को परिभाषित करती है।

एफएमडी सीरोमॉनिटरिंग के लिए, नमूना योजना के अनुसार राज्य द्वारा टीकाकरण से पहले और बाद के सीरम के नमूने एकत्र किए जाते हैं और संबंधित एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं। एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाएँ भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय खुरपका और मुंहपका रोग संस्थान (ICAR-NIFMD) द्वारा विकसित एलिसा किट (Elisa Kit) के माध्यम से सुरक्षात्मक स्तर का आकलन करती हैं और आगे की निगरानी के लिए सीरो एसएसएम (SSM) पोर्टल पर डेटा अपलोड करती हैं। किसी भी बाधा के मामले में और जिन राज्यों में एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाएँ नहीं हैं, भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय खुरपका और मुंहपका रोग संस्थान (ICAR-NIFMD), भुवनेश्वर द्वारा वहाँ केंद्रीकृत परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

पशु सेरा में गैर-संरचनात्मक (Non-Structural) वायरल प्रोटीन (NSP) की उपस्थिति का पता लगाकर सीरोसर्विलांस किया जाता है ताकि परिसंचारी वायरस की सीमा का अनुमान लगाया जा सके।

ब्रुसेलोसिस सीरोमॉनिटरिंग के लिए, टीकाकरण के बाद सीरम के नमूने राज्य द्वारा नमूना योजना के अनुसार एकत्र किए जाते हैं और सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए भा.कृ.अ.प.- राष्ट्रीय पशुरोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान (ICAR-NIVEDI) को भेजे जाते हैं।

**2.4.8 रोग प्रकोप की रिपोर्टिंग**

स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी लक्षणों को देखते हुए संदिग्ध प्रकोप की घटनाओं के बारे में जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करता है। एफएमडी के मामले में, नमूनों को एलिसा (ELISA) आधारित निदान के लिए राज्य एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशाला और पुष्टि निदान तथा सीरोटाइपिंग के लिए आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD) को भेजा जाता है।

संदिग्ध ब्रुसेलोसिस के नमूनों को निदान की पुष्टि हेतु परीक्षण के लिए राज्य और केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है।

राज्य पशुपालन विभाग को संदिग्ध प्रकोप की सूचना तुरंत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) को देनी चाहिए, जैसा कि अनुबंध-IV के परिशिष्ट-I में उल्लेख किया गया है।

प्रकोप की पुष्टि होने पर, राज्य पशुपालन विभाग को डब्ल्यूओएएच रिपोर्टिंग प्रारूप (अनुबंध-IV का परिशिष्ट-II) में तत्‍काल डीएएचडी को प्रकोप की रिपोर्ट देनी चाहिए, जिसकी एक प्रति आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD) भुवनेश्वर को भी भेजी जानी चाहिए। भारत के डब्‍ल्‍यूओएएच (WOAH) प्रतिनिधि (अर्थात सचिव, डीएएचडी) की अनुमति से डीएएचडी द्वारा डब्‍ल्‍यूओएएच को रोग की घटना की जानकारी दी जाएगी। पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) को छोड़कर कोई अन्य एजेंसी एफएमडी और ब्रुसेलोसिस प्रकोप की घटना की रिपोर्ट WOAH को नहीं देगी।

राज्य पशुपालन विभाग संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रिंग टीकाकरण, जैव-संरक्षा उपायों और पशु आवागमन नियंत्रण द्वारा आवश्यक कदम उठाएगा। प्रकोप के स्थान के आधार पर, पड़ोसी राज्यों को अपने राज्य में रोग के प्रवेश को रोकने के लिए बैरियर टीकाकरण करने की आवश्यकता हो सकती है।

**2.4.9** **अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय चैक पोस्‍ट स्थापित करना**

रोग फैलाने की आशंका वाले टीकाकरण रहित पशुओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए उचित स्थानों पर अंतर-राज्यीय चैक पोस्‍ट स्थापित/सुदृढ़ किए जाने चाहिए। इससे पड़ोसी राज्यों/संक्रमित क्षेत्रों से रोग के प्रवेश को रोककर रोग मुक्त क्षेत्र बनाने में मदद मिलेगी।

राज्य में प्रवेश करने वाले पशुओं की एफएमडी टीकाकरण रिकॉर्ड और एफएमडी (बुखार, मुंह, पैर या थन में घाव/पुटिकाएं), ब्रुसेलोसिस या अन्य महत्वपूर्ण रोगों के किसी भी लक्षण की जांच के लिए प्रत्येक चेक पोस्ट पर पर्याप्त जन शक्ति और अवसंरचना का आवंटन किया जाना है।

टीकाकरण रहित पशुओं को टीका लगाया जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा या कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए संगरोध में रखा जाएगा। संगरोध के बाद, इन पशुओं को राज्य में प्रवेश की अनुमति देने से पहले किसी भी रोग के लक्षणों के लिए क्‍लीनिकल रूप से जांचा जाएगा। यदि कोई पशु एफएमडी, ब्रुसेलोसिस या किसी अन्य महत्वपूर्ण रोग के क्‍लीनिकल लक्षणों के साथ चैक पोस्‍ट पर प्रस्तुत किया जाता है, तो पशु को अलग कर दिया जाएगा और नैदानिक पुष्टि के लिए परीक्षण किया जाएगा।

इसी तर्ज पर, अन्य देशों से भारत में अनाधिकृत पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए भारत तथा पड़ोसी देशों की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चैक पोस्‍ट बनाए जाएंगे।

* 1. **अन्य हितधारकों की भूमिका**

**2.5.1 पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय**

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए अपने जमीनी ढांचे का लाभ उठाकर प्रमुख पशु रोगों जैसे खुरपका और मुंहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीआरआई की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ होंगी:

**जागरूकता बढ़ाना:** स्थानीय समुदाय को एफएमडी, ब्रुसेलोसिस और अन्य रोगों के लक्षणों, संक्रमण, रोकथाम (टीकाकरण, जैव सुरक्षा) और प्रभावित पशुओं को अलग रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करना।

**रिपोर्टिंग और डेटा संग्रह:** संदिग्ध एफएमडी, ब्रुसेलोसिस और अन्य रोगों के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना और स्थानीय पशु चिकित्सकों और पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से पशुधन स्वास्थ्य और रोग के प्रकोप संबंधी डेटा एकत्र करना।

**टीकाकरण अभियान का समन्वय करना:** सीमित पशु चिकित्सा सेवाओं वाले दूरदराज के क्षेत्रों में टीकाकरण प्रयासों को सुविधाजनक बनाना।

**स्वयंसेवकों को जुटाना:** लॉजिस्टिक, सूचना प्रसार और टीकाकरण कवरेज में सहायता के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों को संगठित करना।

**निवारक प्रथाओं को बढ़ावा देना:** कीटाणुशोधन, अपशिष्ट निपटान और पशु आवाजाही को नियंत्रित करने जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और साझा चरागाह क्षेत्रों की सफाई करना।

**संपर्क सुनिश्चित करना:** प्रकोप के दौरान ग्रामीण समुदायों और उच्च अधिकारियों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना, संसाधनों के त्वरित वितरण की सुविधा प्रदान करना।

**संगरोध का प्रबंधन:** संक्रमित पशुओं के अलगाव और मानवीय उपचार में सहायता करना और पशुधन की आवाजाही को रोकना।

* + 1. **वन एवं वन्यजीव विभाग**

1. संवेदनशील जंगली पशुओं में रोग संचरण को रोकने के लिए वन सीमा (Forest Interfaces) पर घरेलू पशुओं में गहन एफएमडी, ब्रुसेलोसिस और अन्य रोग टीकाकरण अभियानों के आयोजन में सहायता करना।
2. सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए वन की सीमाओं के पास रहने वाले आदिवासी/ग्रामीण समुदायों में जागरूकता पैदा करने में सहायता करना।
   * 1. **दुग्ध परिसंघ और डेयरी सहकारी समितियां**
3. सदस्यों के बीच एफएमडी, ब्रुसेलोसिस और अन्य रोगों के लक्षणों, संचरण, रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करना
4. प्रभावित पशुओं को अलग करने और रोग की रिपोर्टिंग के महत्व के बारे में सदस्यों को जागृत करना
5. पशुपालकों के बीच कुशल मानव संसाधनों का चयन करके टीका लगाने वाले तैयार करने में सहायता करना
   * 1. **एनजीओ, सीबीओ और निजी पशु चिकित्सक**

गैर-सरकारी संगठन (NGOs), समुदाय-आधारित संगठन (CBOs) और निजी पशु चिकित्सक एफएमडी, ब्रुसेलोसिस और अन्य रोग नियंत्रण प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता कर सकते हैं।

एफएमडी की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और जागरूकता पहल पर संयुक्त कार्यक्रमों के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने के लिए सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना।

* 1. **प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यकलापों में प्रयोगशालाओं की भूमिका**

आईसीएआर और डीएएचडी प्रयोगशालाएं जैसे आईसीएआर-एनआईएफएमडी, आईसीएआर-एनआईवीईडी, आईसीएआर-आईवीआरआई और सीसीएस-एनआईएएच बागपत, एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ टीका गुणवत्ता नियंत्रण, टीका स्ट्रेन मिलान, रोग निदान और निगरानी, सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस और प्रमुख पशु रोग अनुसंधान में व्यापक रूप से योगदान देती हैं। उनके योगदान में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो सुविचारित निर्णय लेने और नियंत्रण कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

* **प्रमुख रोगों के टीकों की गुणवत्ता नियंत्रण का परीक्षण:** तीन प्रयोगशालाएं अर्थात् सीसीएस-एनआईएएच (CCS-NIAH), बागपत, आईवीआरआई (IVRI), बेंगलुरु और एनआईएफएमडी (NIFMD), भुवनेश्वर एफएमडी (FMD) टीका क्यूसी परीक्षण के लिए नामित प्रयोगशालाएं हैं। ब्रुसेलोसिस टीके का गुणवत्ता परीक्षण तीन प्रयोगशालाओं अर्थात् सीसीएस-एनआईएएच (CCS-NIAH), बागपत, आईवीआरआई (IVRI), इज्जतनगर और आईवीआरआई (IVRI), मुक्तेश्वर में किया जाता है।
* **सीरोमॉनिटरिंग योजना का विकास:** आईसीएआर-एनआईवीईडीआई (ICAR-NIVEDI) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रत्येक दौर के लिए सीरोमॉनिटरिंग योजना विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। गांवों को महामारी विज्ञान इकाइयों के रूप में माना जाता है। दोहरी स्तरीकृत नमूनाकरण योजना प्रत्येक गांव (महामारी विज्ञान इकाई) में प्रत्येक आयु वर्ग और पशुओं की प्रत्येक प्रजाति से एकत्र किए जाने वाले नमूनों की संख्या को परिभाषित करती है।
* **सीरोमॉनिटरिंग:** राज्य पशुपालन विभाग द्वारा नमूनाकरण योजना के अनुसार टीकाकरण से पहले और बाद में सीरम के नमूने एकत्र किए जाएंगे और संबंधित एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाओं को भेजे जाएंगे। एफएमडी (FMD) नेटवर्क प्रयोगशालाएं आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD) द्वारा विकसित एलिसा द्वारा प्रतिरक्षा स्तर का आकलन करती हैं और आगे की निगरानी के लिए एसएस-एसएम (SS-SM) पोर्टल पर डेटा अपलोड करती हैं। एफएमडी (FMD) नेटवर्क प्रयोगशालाओं के नाम और संपर्क अनुबंध VII के रूप में संलग्न हैं।

ब्रुसेलोसिस सीरोमॉनिटरिंग के लिए, टीकाकरण के बाद सीरम के नमूने राज्य द्वारा नमूना योजना के अनुसार एकत्र किए जाते हैं और सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए आईसीएआर-एनआईवीईडीआइ (ICAR-NIVEDI) को भेजे जाते हैं।

* **सीरोसर्विलांस:** यह आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD) द्वारा विकसित और उत्पादित डीआईवीए (DIVA) परीक्षण किट द्वारा पशुधन आबादी में परिसंचारी वायरस की सीमा का अनुमान लगाने के लिए पशु सीरा में गैर-संरचनात्मक वायरल प्रोटीन (NSP) की उपस्थिति का पता लगाकर किया जाता है।
* **रोग निगरानी और निदान:** राज्य एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाएं एलिसा द्वारा प्रारंभिक निदान सेवा प्रदान करती हैं। पुष्टिकरण निदान आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD), भुवनेश्वर द्वारा वास्तविक समय पीसीआर, पारंपरिक/जैल आधारित पीसीआर, वायरस अलगाव और एलिसा के माध्यम से किया जाता है।
* **वायरस टाइपिंग और स्ट्रेन पहचान:** एनआईएफएमडी (NIFMD)-भुवनेश्वर प्रभावित पशुओं में मौजूद एफएमडी (FMD) वायरस के सीरोटाइप और स्ट्रेन का निर्धारण करेगा।
* **टीका स्ट्रेन का मिलान:** टीके में इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीजन हमेशा परिसंचारी वायरस स्ट्रेन से मेल खाना चाहिए। यह टीके की दक्षता की एक महत्वपूर्ण मांग है। एनआईएफएमडी (NIFMD), भुवनेश्वर भारत में परिसंचारी एफएमडी (FMD) वायरस स्ट्रेन का लगातार आकलन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि टीके में इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीजन सभी परिसंचारी एफएमडी (FMD) वायरस स्ट्रेन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। तदनुसार, यदि आवश्यक हो तो आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD), भुवनेश्वर मौजूदा टीका स्ट्रेन को बदलने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग को सलाह देता है।
* **टीका विकास और मूल्यांकन:** आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD)-भुवनेश्वर अपने आधिकारिक अधिदेश के अनुसार नए एफएमडी (FMD) टीकों (जैसे थर्मोस्टेबल टीके) के विकास या मौजूदा टीकों में सुधार के लिए अनुसंधान करता है।
* **वायरस की आनुवंशिक निगरानी और विकास:** आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD), भुवनेश्वर एफएमडी वायरस की म्‍यूटेशन दर और विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक अनुक्रमण (genetic sequencing) और विश्लेषण करता है। इससे वायरस में संभावित परिवर्तनों और नए उपभेदों के उभरने की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है।
* **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD), भुवनेश्वर एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाओं के अधिकारियों को एफएमडी सेरोमोनिटरिंग तकनीकों, निदान तकनीकों और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। वे प्रोबैंग परीक्षण के लिए नमूना संग्रह सहित रोग की रोकथाम के लिए क्षेत्र के पशु चिकित्सकों की क्षमता निर्माण के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD), भुवनेश्वर समय-समय पर टीका निर्माताओं और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए टीका गुणवत्ता परीक्षण के सामंजस्य के लिए कार्यशाला आयोजित करेगा।

* 1. **राज्य गोपशु फार्मों और विश्वविद्यालय गोपशु फार्मों की भूमिका**

एफएमडी टीके के प्रत्येक बैच के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के लिए, 6 से 12 महीने की आयु के 12 सीरोनेगेटिव गोपशु बछड़े-बछियों की आवश्यकता होती है। राज्य गोपशु फार्म और विश्वविद्यालय गोपशु फार्म डीएएचडी को 6 से 12 महीने के एफएमडी टीके न लगाए गए बछड़े-बछियां उपलब्ध करवाते हैं। नामित प्रयोगशालाएँ सीरम के नमूने एकत्र करती हैं और सीरोनेगेटिविटी स्थिति का आकलन करने के लिए परीक्षण करती हैं।

* 1. **राष्ट्रीय पशु रोग रेफरल विशेषज्ञ प्रणाली**

राष्ट्रीय पशु रोग रेफरल विशेषज्ञ प्रणाली (NADRES v2) पशुधन रोग पूर्वानुमान की दिशा में एक पहल है, जिसका लाभ किसानों और नीति निर्माताओं को मिलता है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान (ICAR- NIVEDI) द्वारा विकसित एक उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाभ उठाते हुए, NADRES v2 दो महीने पहले ही पशुधन रोग के प्रकोप की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न डेटा स्रोतों का विश्लेषण करता है, जिससे पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय संभव हो पाते हैं।

NADRES (v2) की मुख्य विशेषताएं:

* एआई-संचालित रोग पूर्वानुमान: खुरपका-मुंहपका रोग, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया और पेस्टे डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स जैसे रोगों की घटना की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करता है।
* समय पर अलर्ट: पशु चिकित्सकों और किसानों को एसएमएस अलर्ट जारी करता है, पूर्वानुमान प्रदान करता है और कार्रवाई की सिफारिश करता है। उदाहरण के लिए, मार्च 2025 में, कर्नाटक में किसानों को लगभग 24 लाख एसएमएस अलर्ट भेजे गए, जिससे उन्हें समय पर जानकारी मिली।
* जोखिम मानचित्रण (मैपिंग): राज्यवार और जिलावार जोखिम मानचित्र प्रस्तुत करता है, जिससे रोग के हॉटस्पॉट की पहचान करने और लक्षित पहलें करने में सहायता मिलती है।
* व्यापक डेटा एकीकरण: रोग प्रकोप के डेटा को जलवायु और गैर-जलवायु कारकों के साथ जोड़ता है, जिससे भविष्यवाणियों की सटीकता बढ़ जाती है।

पशुधन रोग पूर्वानुमान पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [https://पशुपालन और डेयरी विभाग.gov.in/ पर देखा जा सकता है](https://dahd.gov.in/) ।

# 3. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LH&DC)

एलएच और डीसी, एलएचडीसीपी (LHDCP) का एक घटक है जिसका उद्देश्य रोगनिरोधी टीकाकरण, क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, जूनोटिक, विदेशी और आकस्मिक रोगों पर नियंत्रण करके पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना है। इस योजना के तीन उप-घटक इस प्रकार हैं:

1. गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP)
2. पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (ESVHD-MVU)
3. पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD)

## गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP)

1. **उद्देश्य**

*पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (*PPR*)* का उन्मूलन करना तथा कार्पेट टीकाकरण के माध्यम से झुंड प्रतिरक्षा विकसित करके सूअरों में क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) को नियंत्रित करना।

इसके दो कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

i. पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR-EP) का उन्मूलन

ii. क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) पर नियंत्रण

1. **मुख्य विशेषताएं**

इस घटक के अंतर्गत भारत सरकार, समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के बाद राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को पीपीआर (PPR) और सीएसएफ (CSF) टीके और छोटे पशुओं के कान टैग की केंद्रीय खरीद और आपूर्ति करती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्यों को निम्नलिखित के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-

* टीकाकरण सहायक उपकरणों की खरीद
* टीकाकरण और ईयर टैगिंग (पशुयूथ पंजीकरण) के लिए और भारत पशुधन पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के लिए टीका लगाने वालों को पारिश्रमिक प्रदान करना;
* जागरूकता अभियान चलाना;

राज्य पशुपालन विभाग कार्यक्रम के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है और टीकाकरण अभियान को क्षेत्र में क्रियान्वित करता है।

पीपीआर उन्मूलन और ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम की सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस कार्यकलापों के लिए भी आईसीएआर-एनआईवीईडीआई (ICAR-NIVEDI) को सहायता प्रदान की जाती है।

1. **निधियन पैटर्न**

सीएडीसीपी के लिए 100% निधियन केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

1. **प्राथमिक कार्य**
2. **टीकों की केंद्रीय खरीद और गुणवत्ता परीक्षण:** पीपीआर और सीएसएफ टीकों की केंद्रीय खरीद की जाती है, उनकी गुणवत्ता जांच की जाती है और पशुओं को लगाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की जाती है। गुणवत्ता परीक्षण आईवीआरआई (IVRI)-इज्जतनगर, आईवीआरआई (IVRI)-मुक्तेश्वर और सीसीएसएनआईएएच (CCS-NIAH)-बागपत में किया जाता है।
3. **टीका लगाना:** पीपीआर-ईपी के अंतर्गत, प्रवासी भेड़-बकरियों सहित भारत की सम्पूर्ण भेड़ और बकरी आबादी को पीपीआर के उन्मूलन के लिए समूह प्रतिरक्षा स्थापित करने हेतु लाईव एटैन्‍युएटिड पीपीआर टीके द्वारा टीका लगाया जाता है।
4. क्लासिकल स्वाइन फीवर के नियंत्रण के लिए संपूर्ण सुअर आबादी को सीएसएफ (CSF) टीके द्वारा टीका लगाया जाता है ।
5. **पशु पहचान:** भेड़ और बकरियों के पशुझुंड की पहचान कान के टैग से की जाएगी और उन्हें भारत पशुधन पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। झुंड के टीकाकरण का विवरण इस झुंड पंजीकरण के सामने दर्ज किया जाएगा। झुंड पंजीकरण का एसओपी अनुबंध-14 के रूप में संलग्न है।
6. **निगरानी और रिपोर्टिंग:** राज्य पशुपालन विभाग द्वारा नैदानिक मामलों की रिपोर्ट पशुपालन और डेयरी विभाग को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। पुष्टिकरण निदान ICAR-NIVEDI द्वारा किया जाता है और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाती है, जो इसे पशुपालन और डेयरी विभाग को सूचित करेगी।
7. **जागरूकता कार्यक्रम:** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसानों को पीपीआर और सीएसएफ के जोखिमों, टीकाकरण के महत्व और रोग के प्रसार को रोकने के लिए जैव सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
8. **सीरो सविलांस या सीरो निगरानी और सीरोमॉनीटरिंग:** राज्य, आईसीएआर-एनआईवीईडीआई (ICAR-NIVEDI) द्वारा तैयार की गई नमूना योजना के अनुसार टीकाकरण से पहले और बाद के नमूने एकत्र करते हैं और नमूनों को परीक्षण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए आईसीएआर-एनआईवीईडीआई (ICAR-NIVEDI) को भेजते हैं। विश्लेषण के बाद, रिपोर्ट आईसीएआर-एनआईवीईडीआई (ICAR-NIVEDI) द्वारा राज्य पशु चिकित्सा विभाग और डीएएचडी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए साझा की जाती है।

## एएससीएडी

1. **उद्देश्य**

एएससीएडी (पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता) योजना का उद्देश्य लक्षित टीकाकरण, डी-वर्मिंग और रोग निगरानी के माध्यम से जूनोटिक रोगों सहित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन और पोल्ट्री रोगों के नियंत्रण और रोकथाम को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य सीरोसर्विलांस, रिंग टीकाकरण और कलिंग ऑपरेशन जैसे सक्रिय उपायों के माध्यम से विदेशी और आकस्मिक रोगों को नियंत्रित करना है। यह योजना रोग निदान प्रयोगशालाओं और राज्य टीका उत्पादन इकाइयों की क्षमता बढ़ाने, किसानों के बीच रोग नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने का भी प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त, यह रोग प्रबंधन में सुधार और पशु स्वास्थ्य पहलों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य में अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण का समर्थन करती है।

1. **मुख्य विशेषताएं**

**राज्य-प्राथमिकता वाले रोगों के लिए टीकाकरण:** जूनोटिक रोगों सहितआर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन और पोल्ट्री रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण को सहायता प्रदान करके पशु स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करना। इसमें बकरी चेचक, लम्पी त्वचा रोग, एंथ्रेक्स, रेबीज और अन्य राज्य-प्राथमिकता वाले रोग शामिल हैं।

**पशुओं का कृमि मुक्तिकरण (डिवार्मिंग):** इष्टतम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, टीकाकरण से पहले, आदर्श रूप से टीकाकरण अभियान से एक महीने पहले, पशुधन आबादी (गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर) का नियमित रूप से कृमि मुक्तिकरण किया जाना चाहिए।

**विदेशी और आकस्मिक रोगों का नियंत्रण और रोकथाम:** सीरोसर्विलांस, रिंग टीकाकरण, कलिंग ऑपरेशन और मॉक ड्रिल जैसे कार्यकलापों के माध्यम से विदेशी और आकस्मिक रोगों के प्रवेश और प्रसार को रोकना। इससे एवियन इन्फ्लूएंजा, बीएसई, ग्लैंडर्स, पीआरआरएस, निपाह और किसी भी अन्य आकस्मिक विदेशी रोग जैसे रोगों पर ज्‍यादा ध्‍यान दिया जा रहा है।

**पशुधन रोगों की निगरानी और मॉनीटरिंग:** सीबीपीपी और बीएसई जैसे रोगों से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए, गांव की तलाशी और स्टॉक रूट सर्च जैसे नियमित निगरानी कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। निगरानी में प्रयोगशाला परीक्षण के लिए नमूनों का संग्रह और प्रेषण भी शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि रोग मुक्ति की स्थिति बनी रहे।

**रोग निदान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना:** रोग निदान प्रयोगशालाओं (DDL) को सुदृढ़ बनाने में सहायता देकर पशु चिकित्सा रोग निदान अवसंरचना को बढ़ाना तथा पशुधन और पोल्‍ट्री रोगों के शीघ्र और सटीक निदान के लिए सुविधाओं में सुधार करना।

**राज्य टीका उत्पादन इकाइयों को सहायता:** आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के लिए गुणवत्ता वाले टीकों के उत्पादन हेतु अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (GMP) मानकों को पूरा करने के लिए राज्य जैविक उत्पादन इकाइयों को मजबूत करना, जिससे राज्यों में प्रभावी टीकाकरण कार्यक्रम सुनिश्चित हो सके।

**जागरूकता और पशुधन स्वास्थ्य शिविर:** रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और जूनोटिक जोखिमों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाना और टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रोग की रोकथाम जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।

**मास्टिटिस पर नियंत्रण:** जागरूकता सृजन और उप-नैदानिक मामलों की जांच के माध्यम से मास्टिटिस की घटनाओं को न्यूनतम करना।

**अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण:** पशु चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे बेहतर रोग नियंत्रण विधियों और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं का निरंतर विकास सुनिश्चित हो सके। पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार के तहत वांछित कार्यकलापों को करने के लिए आईसीएआर संस्थानों/अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें पशु चिकित्सकों, पैरा पशु चिकित्सकों, अन्य/प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, प्रयोगशाला निदान विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (CVE) कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।

**पशु स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए पशु सखी या सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण (पशु सहायता) :** इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने पशु स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाना है। इस पहल में पशु सखियों के 16 दिनों के प्रशिक्षण में पशु स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष प्रशिक्षण शामिल होगा। कौशल विकास एएससीएडी (ASCAD) के तहत 90:10 (उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) और 60:40 (केंद्र-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) साझेदारी पैटर्न के साथ किया जाएगा। राज्य उचित अनुपात में एएससीएडी के तहत आवंटित निधि के भीतर अपनी वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से बजट तैयार कर सकते हैं। बड़े क्षेत्रों को कवर करने और उस गांव और आसपास के गांवों के लिए टीका लगाने वाले के रूप में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति की भागीदारी के लिए अधिमानतः, एक गांव से एक से अधिक पशु सखी को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा।

पशु चिकित्सकों और पैरा-पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण का प्रावधान पहले से ही है। उक्त प्रावधान का उपयोग करते हुए, मास्टर प्रशिक्षकों (ToT) का प्रशिक्षण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशुपालन विभागों (AHDs) द्वारा एनडीडीबी, आणंद के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है।

ए-हेल्‍प के लिए पशु सखियों के 16 दिवसीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लागत मानदंड अनुबंध 6 में संलग्न हैं।

संबंधित राज्यों द्वारा ए-हेल्‍प के लिए प्रशिक्षित पशु सखियों की सहायता से कुशल व्यक्तियों के लिए राज्यों में प्रचलित श्रम दरों पर शिविरों का आयोजन किया जा सकता है।

**सलाहकार की नियुक्ति:** एलएच और डीसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा योजना की निगरानी में सहायता के लिए मुख्यालय में पांच परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी।

1. **निधियन पैटर्न**

* इस उप-घटक में सभी राज्यों के लिए 60-40 केन्द्र-राज्य निधि साझाकरण पैटर्न और उत्तर पूर्वी तथा पर्वतीय राज्यों के लिए 90-10 केन्द्र-राज्य निधि साझाकरण पैटर्न होगा, साथ ही संघ राज्य क्षेत्रों को टीके की खरीद, टीकाकरण के लिए सहायक उपकरण, टीका उत्पादन के लिए कच्चे माल की खरीद के लिए 100% निधियन होगा, ताकि राज्य सरकार की टीका उत्पादन, डी-वर्मिंग, पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने, जीएमपी के लिए राज्य सरकारों के टीका उत्पादन संस्थानों, सीरो-सर्विलांस और सीरो-मॉनीटरिंग, हेल्‍प प्रशिक्षण आदि की अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
* पशुधन और पोल्ट्री रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए पक्षियों/पशुओं की कलिंग हेतु तथा परामर्श और परिचालन लागत आदि के अनुसार आहार/अंडों को नष्ट करने पर मुआवजा **(केंद्र: राज्य की हिस्सेदारी 50:50 की दर पर)**
* अनुसंधान और नवाचार, पशु चिकित्सा व्‍यावसायिकों का प्रशिक्षण, सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (CVE), पशु स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता शिविर, अन्य प्रचार माध्यम, परामर्शदाताओं की नियुक्ति आदि **(100% केंद्रीय निधियन)**
* इसके अलावा, इस उप-घटक के अंतर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति, व्यावसायिक सेवाओं तथा विज्ञापन एवं प्रचार के लिए 100% केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया जाएगा।

1. **प्रमुख कार्यकलाप**
2. इसमें पशुधन और घरेलू पोल्ट्री के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण से संबंधित कार्यकलाप होंगे, जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा रोग(रोगों) के प्रसार और किसानों को होने वाले नुकसान के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। एंथ्रेक्स और रेबीज जैसे जूनोटिक रोगों के लिए टीकाकरण को भी उचित महत्व दिया जाएगा, जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सहायता दी जाएगी।
3. एक अन्य कार्यकलाप जिसे प्राथमिकता दी गई है वह है 'आकस्मिक और विदेशी रोगों का नियंत्रण'। इस कार्यकलाप में विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकने संबंधी और साथ ही पशुधन/पोल्ट्री रोगों के उभरने वाले/ पुनः उभरने वाले रोगों की निगरानी और संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। रोगों के प्रसार को रोकने के लिए रिंग टीकाकरण के लिए भी सहायता दी जाएगी (रोग के प्रकोप के मामलों में) साथ ही पोल्ट्री पक्षियों की कलिंग, संक्रमित पशुओं को हटाने, पोल्ट्री आहार/अंडों को नष्ट करने के लिए किसानों को मुआवज़ा देने के लिए भी सहायता दी जाएगी, जिसमें परिचालन लागत भी शामिल है।
4. एएससीएडी घटक के अंतर्गत तीसरा कार्यकलाप 'अनुसंधान और नवाचार, प्रचार एवं जागरूकता तथा प्रशिक्षण एवं संबद्ध कार्यकलाप हैं। जबकि प्रचार एवं जागरूकता तथा प्रशिक्षण आदि मौजूदा एएससीएडी घटक के अंतर्गत मौजूदा कार्यकलाप हैं, 'अनुसंधान एवं नवाचार' एक नया प्रस्तावित कार्यकलाप है। इसके अंतर्गत यह परिकल्पना की गई है कि अनुसंधान एवं नवाचार/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/संकट प्रबंधन और मॉक ड्रिल आदि में सहयोग के लिए मान्यता प्राप्त निजी/सार्वजनिक संस्थानों, अन्य मंत्रालयों/विभागों आदि को निधियां जारी की जा सकती हैं।
5. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (VCI) को अनुदान सहायता, वीसीआई के संबंध में चुनाव, कानूनी आदि व्ययों का निधियन इस घटक के अंतर्गत किया जाता रहेगा।
6. डीएएचडी के मुख्यालय में परामर्शदाताओं की नियुक्ति, व्यावसायिक सेवाएं, विज्ञापन और प्रचार।
7. ए-हेल्‍प प्रशिक्षण को एएससीएडी के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु एक कार्यकलाप के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।
8. **हितधारक (संस्थानों का कार्य/भूमिका)**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एसआईए (SIA) को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले अपनी-अपनी वार्षिक कार्य योजना (AAP) संलग्न अनुबंध-7-12 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में भेजनी होगी ।
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोग अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार किया गया है तथा इसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत किया गया है।
* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिलीज के लिए सभी अनिवार्य आवश्यकताएं पीएफएमएस प्रणाली पर पूरी कर ली गई हैं, जैसे कि निधियों का उपयोग, ब्याज जमा करना तथा घाटे संबंधी कोई त्रुटि लंबित नहीं है।
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (PPR) अनिवार्य रूप से एएपी (AAP) के साथ संलग्न की जाए, क्योंकि पीपीआर के अभाव में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।
* राज्य सरकारें निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित राज्यों के हिस्से की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र टीका खरीद/टीका प्राप्ति (केंद्रीय खरीद के मामले में) संबंधी लॉजिस्टिक की व्‍यवस्‍था करेंगे और कोल्ड चेन निरंतरता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र स्तर पर आगे वितरण की व्यवस्था करेंगे।
* अपनी कार्ययोजना के अनुसार समय पर सहायक उपकरण खरीदें।
* जहां भी संभव हो, डि-वार्मिंग करेंगे।
* कार्यस्थल पर (ऑन-फील्‍ड) टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे।
* नमूनों की निगरानी और संग्रहण के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु संबंधित आईसीएआर संस्थानों/प्रयोगशालाओं जैसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों (IA) के साथ समन्वय करना।
* अस्थायी संगरोध/चेक-पोस्टों के माध्यम से पशु कार्यकलापों को रिकॉर्ड करना/विनियमित करना।
* प्रकोप के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तैयार करना; प्रकोप के दौरान जांच, वायरस अलगाव और लक्षण वर्णन में समन्वय करना।
* वर्ष के दौरान रोग प्रकोप की स्थिति दर्शाते हुए परिणाम और आउटपुट के साथ वित्तीय/वास्तविक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

## पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण (ESVHD) – मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (MVU)

1. **उद्देश्य**

ईएसवीएचडी-एमवीयू का मुख्य उद्देश्य किसानों के टोल फ्री फोन कॉल पर पशुओं के आपातकालीन उपचार के लिए किसानों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है।

1. **मुख्य विशेषताएं**
2. ये एमवीयू पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनुकूलित/निर्मित वाहन हैं, जिनमें निदान, उपचार और छोटी सर्जरी, दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरण और पशुओं के उपचार के लिए अन्य मूल आवश्यकताओं के लिए उपकरण होते हैं।
3. यह वाहन अधिमानतः एक चार पहिया वाहन होगा जिसमें निदान (माइक्रोस्कोप आदि, जहाँ भी आवश्यक हो) के लिए आवश्यक उपकरण, दवाइयाँ, शल्य चिकित्सा उपकरण, नमूना संग्रह और पशु प्रबंधन संबंधी सामान, **1 पशु चिकित्सक, 1 पैरा-पशु चिकित्सक और एक चालक-सह-परिचारक के लिए कार्य करने का स्थान** और आवश्यक उपकरण रखने के लिए पर्याप्त स्थान होगा। इस तरह की सहायता की एक विस्तृत सांकेतिक सूची अनुबंध 2ग में दी गई है। हालाँकि, इलाके के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वैकल्पिक वाहनों का प्रस्ताव कर सकते हैं जो आउटरीच के अनुकूल हों।
4. पशु चिकित्सा एवं जन जागरूकता संबंधी सामग्री - एमवीयू में नमूना संग्रहण के लिए उपकरण जैसे कि शीशियां, वेक्यूटेनर, सीरिंज, एक छोटा रेफ्रिजरेटर/टीका वाहक/सक्रिय कूल बॉक्स और उपचार के लिए दवाएं - जिनमें जीवनरक्षक दवाएं, एंटीबायोटिक आदि शामिल हैं, रूई, पट्टियां और छोटी सर्जरी के उपकरण और दृश्य-श्रव्य सामग्री जैसे कि माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, रोगों और रोकथाम के महत्व के चार्ट/फोटोग्राफ/स्लाइड और टीकाकरण अभियान की घोषणा करने वाले पर्चे, एक छोटा प्रोजेक्टर/ओएचपी, स्क्रीन, यदि आवश्यक हो तो उपलब्ध होंगे।
5. प्रत्येक एमवीयू में एक पशु चिकित्सक, एक अर्ध पशु चिकित्सक और एक चालक-सह-परिचालक होगा
6. मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई पीपीपी मोड पर चल सकती है, जिसमें सरकार पशुओं के उपचार, पीओएल और वाहनों के रखरखाव के लिए दवाओं और शल्य चिकित्सा वस्तुओं आदि की खरीद जैसी अवसंरचना प्रदान करती है, लेकिन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जनशक्ति को आउटसोर्स किया जाता है। सेवा प्रदाता की आउटसोर्सिंग के लिए सेवा शुल्क भारत सरकार के अनुसार लागू होगा।
7. ये एमवीयू संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसानों से कॉल सेंटर पर प्राप्त फोन कॉल के आधार पर किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। यात्रा के समय को कम करने और लक्षित समय के भीतर सेवा प्रदान करने के लिए एमवीयू को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए।
8. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मौजूदा कॉल सेंटर के साथ एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय कॉल सेंटर भी स्थापित/संरेखित किया जाना चाहिए। ऐसे कॉल सेंटर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग के नियंत्रण में होने चाहिए तथा राज्य द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना चाहिए।
9. मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते समय कॉल सेंटर को धुरी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसे पशुपालकों/पशु मालिकों से कॉल प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें कॉल सेंटर में पशु चिकित्सक को प्रेषित करना चाहिए। एमवीयू को निर्देशित करने का निर्णय पशु चिकित्सा मामले की आकस्मिक प्रकृति के आधार पर होगा जैसा कि कॉल सेंटर में पशु चिकित्सक द्वारा तय किया जाता है। कॉल सेंटर को एमवीयू की आवाजाही और उपयोग की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। कॉल सेंटर को पशु मालिक के यूआईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं की पुष्टि भी करनी चाहिए और संबंधित राज्य के साथ डेटा साझा करना चाहिए। कॉल सेंटर को अनुवर्ती उपचार के लिए स्थानीय पशु चिकित्सक और एआई के लिए पंजीकृत स्थानीय एआई तकनीशियन के साथ संचार के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। एमवीयू को स्थानीय आबादी को एमवीयू में निहित दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरण के माध्यम से विस्तार सेवा भी प्रदान करनी चाहिए ताकि पशु रोगों, उनकी रोकथाम और नियंत्रण, आवश्यक जैव-सुरक्षा उपायों, पशुपालन के आर्थिक लाभों और इस दिशा में सरकार के प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।
10. प्रत्येक राज्य स्तरीय कॉल सेंटर इकाई में 20 एम.वी.यू. तक के लिए 1 पशुचिकित्सक तथा 3 कॉल एग्जीक्यूटिव होंगे। 100 एम.वी.यू. तक के लिए 2 पशुचिकित्सक तथा 6 कॉल एग्जीक्यूटिव होंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 एम.वी.यू. के लिए 1 पशुचिकित्सक तथा 3 कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता होगी।
11. एमवीयू चलाने की आवर्ती लागत 19.452 लाख रुपये प्रति एमवीयू आंकी गई है और एक कॉल सेंटर चलाने का कार्यालय व्यय 5000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें एक पशुचिकित्सक और 3 कॉल एग्जीक्यूटिव शामिल होंगे तथा एक पशुचिकित्सक और 3 कॉल एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त 2000 रुपये प्रति माह होंगे।
12. **निधियन पैटर्न**

ईएसवीएचडी-एमवीयू के लिए, केंद्र और राज्य के बीच साझेदारी पैटर्न पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10%, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 है।

1. **प्रमुख कार्यकलाप**

**कस्टमाइज्ड/फैब्रिकेटेड वाहन:** एमवीयू कस्टम-निर्मित वाहन हैं जो डायग्नोस्टिक उपकरण (माइक्रोस्कोप आदि), सर्जिकल उपकरण, दवाइयां और पशुओं की देखभाल के लिए अन्य आवश्यकताओं से युक्त हैं। वाहनों में 1 पशु चिकित्सक, 1 पैरा-पशु चिकित्सक और एक ड्राइवर-सह-अटेंडेंट के लिए पर्याप्त जगह होगी। एमवीयू के निर्माण के लिए एसओपी (SOP), लोगो संपादन योग्य प्रारूप और एमवीयू में रखी जाने वाली संभावित दवाइयां तथा मशीनें अनुबंध -5 में दी गई हैं।

**पशु चिकित्सा एवं जन जागरूकता उपकरण:** प्रत्येक एमवीयू को नमूना संग्रह उपकरण (शीशियां, वैक्यूटेनर, सीरिंज), टीके, जीवनरक्षक दवाएं, छोटी सर्जरी के उपकरण और दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि रोगों, उनकी रोकथाम, टीकाकरण अभियान और जैव सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

**स्टाफिंग:** प्रत्येक एमवीयू में एक समर्पित टीम होगी जिसमें एक पशुचिकित्सक, एक पैरा-पशुचिकित्सक और एक ड्राइवर-सह-अटेंडेंट शामिल होंगे, जो सुचारू संचालन और सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे।

**वाहन की निगरानी:** लॉग बुक रखी जाएगी। प्रत्येक एमवीयू का वाहन नंबर रखा जाएगा। प्रत्येक एमवीयू से एक पशुचिकित्सक को जोड़ा जाएगा।

**सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल:** एमवीयू पीपीपी मॉडल के तहत काम कर सकते हैं, जहां सरकार अवसंरचना, दवा, उपकरण, वाहनों के लिए पीओएल रखरखाव आदि प्रदान करती है, जबकि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा केवल जनशक्ति को आउटसोर्स किया जा सकता है।

सेवा प्रदाताओं की आउटसोर्सिंग केवल जनशक्ति (पशु चिकित्सक, अर्ध-पशु चिकित्सक, ड्राइवर सह परिचारक, कॉल कार्यकारी) के लिए होगी, जो जीएफआर के अनुसार कोडल प्रक्रिया का पालन करते हुए निविदा/जीईएम (GEM) के माध्यम से सेवा शुल्क के आधार पर होगी। रखरखाव लागत सहित परिचालन लागत, दवा की खरीद, सर्जिकल आइटम, डायग्नोस्टिक किट, कॉल सेंटरों में कार्यालय व्यय आदि जैसे व्यय के अन्य मद वास्तविक या अधिकतम सांकेतित लागत मानदंडों के अनुसार होंगे।

**सेवा प्रदायगी:** एमवीयू 1962 टोल फ्री नंबर पर प्राप्त कॉल के आधार पर किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के कॉल सेंटर पर उपलब्ध होगा। इन यूनिटों को यात्रा समय कम करने और सेवा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीतिक स्‍थानों पर रखा जाएगा।

**कॉल सेंटर एकीकरण:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर का कॉल सेंटर किसानों से कॉल प्राप्त करेगा और एमवीयू की आवाजाही का समन्वय करेगा। कॉल सेंटर मामलों की तात्कालिकता तय करेगा और स्थानीय पशु चिकित्सा सेवाओं के साथ समन्वय करके अनुवर्ती उपचार सुनिश्चित करेगा।

**कॉल सेंटर स्टाफिंग:** प्रत्येक कॉल सेंटर में पशु चिकित्सक और कॉल एग्जीक्यूटिव तैनात किए जाएंगे जो कॉल सुनेंगे, एमवीयू सेवाओं की निगरानी करेंगे और राज्य पशुपालन विभाग के साथ डेटा साझा करेंगे।

**निधियन में लचीलापन:** यह योजना आवश्यकताओं के आधार पर घटकों/उप-घटकों के बीच निधि हस्तांतरण में लचीलापन प्रदान करती है, जिसमें लागत, निविदा दरों के अधीन होती है।

1. **हितधारक (संस्थानों का कार्य/भूमिका)**

राज्य सरकार/राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA)/पशुधन विकास बोर्ड/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां (lAs) प्रमुख हितधारक हैं।

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एसआईए को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले अपनी-अपनी वार्षिक कार्य योजना (AAP) अनुबंध- Iक के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में भेजनी है।
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोग अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार किया गया है तथा इसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) प्रस्तुत किया गया है।
* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिलीज के लिए सभी अनिवार्य आवश्यकताएं पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली पर पूरी कर ली गई हैं, जैसे कि निधियों का उपयोग, ब्याज जमा करना तथा घाटे संबंधी कोई त्रुटि लंबित नहीं है।
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (PPR) अनिवार्य रूप से एएपी (AAP) के साथ संलग्न की जाए, क्योंकि पीपीआर के अभाव में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।
* राज्य सरकारें निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित राज्यों के हिस्से की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र टीका खरीद/टीका प्राप्ति (केंद्रीय खरीद के मामले में) संबंधी लॉजिस्‍टिक की व्‍यवस्‍था करेंगे और कोल्ड चेन निरंतरता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र स्तर पर आगे वितरण की व्यवस्था करेंगे।
* अपनी कार्ययोजना के अनुसार समय पर सहायक उपकरण खरीदेंगे।
* जहां भी संभव हो, डिवार्मिंग करेंगे।
* कार्यस्थल पर टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे।
* नमूनों की निगरानी और संग्रहण के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु संबंधित आईसीएआर संस्थानों/प्रयोगशालाओं जैसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के साथ समन्वय करना।
* अस्थायी संगरोध/चेक-पोस्टों के माध्यम से पशुओं के कार्यकलापों को रिकॉर्ड करना/विनियमित करना।
* प्रकोप के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तैयार करना; प्रकोप के दौरान जांच, वायरस अलगाव और लक्षण वर्णन में समन्वय करना।
* वर्ष के दौरान रोग प्रकोप की स्थिति को दर्शाते हुए परिणाम और आउटपुट के साथ वित्तीय/ वास्तविक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

# 4. पशु औषधि केंद्र

पशु औषधि को एलएचडीसीपी के तहत नए घटक के रूप में शामिल किया गया है, ताकि पीएम-किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की बिक्री की सुविधा मिल सके। उद्यमी संचालित घटक का उद्देश्य पीएम-केएसके और सीएस के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं, एथनो-पशु चिकित्सा दवाओं, फ़ीड सप्लीमेंट्स, पशुधन स्वास्थ्य सहायक उपकरण आदि की बिक्री को सुविधाजनक बनाना है, ताकि उन्हें डेयरी किसानों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में काफी सुधार होगा, उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। पशु औषधि के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

* गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा दवाइयां और सप्‍लीमेंट उपलब्ध कराना।
* गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा दवाइयों और सहायक उपकरणों तक आसान पहुंच प्रदान करना।
* पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करना।
* ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रोत्साहित करके पीएम-केएसके और सहकारी समितियों के माध्यम से जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देना।
* एथनो-पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता

विभाग जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की खरीद और पीएम-केएसके और सहकारी समितियों में उनके प्रावधान के लिए पीएमबीआई, डीओपी को एकमुश्त अनुदान प्रदान करेगा। पीएम-केएसके और सीएस द्वारा पशु चिकित्‍सा केंद्र खोलने और संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित प्रोत्साहन तंत्र विकसित किया जाएगा।

जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं, एथनो-पशु चिकित्सा दवाओं, फ़ीड सप्लीमेंट्स, पशुधन स्वास्थ्य सहायक उपकरण आदि पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

पशु औषधि के लिए निर्धारित 75 करोड़ रुपये में से लगभग 65 करोड़ रुपये पशु चिकित्सा की प्रारंभिक खरीद के लिए, 5 करोड़ रुपये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा शेष 5 करोड़ रुपये विभिन्न स्तरों पर विज्ञापन और प्रचार कार्यकलापों के लिए रखे गए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाइयां लिखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। उन्हें जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाइयों की खरीद के लिए भी सलाह दी गई है।

**इसके अलावा, विभाग एलएचडीसीपी के पशु औषधि घटक के लिए व्यापक परिचालन दिशानिर्देश अधिसूचित करेगा, जो सहकारिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, औषध विभाग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि के साथ परामर्श के बाद तैयार किए जाएंगे।**

# 5. एलएचडीसीपी की निगरानी

## राष्ट्रीय स्तर

1. इस योजना की निगरानी पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) के सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) द्वारा की जाएगी। एनएससी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

|  |  |
| --- | --- |
| सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार | अध्यक्ष |
| अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार | सदस्य |
| पशुपालन आयुक्त, डीएएचडी | सदस्य |
| उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), आईसीएआर | सदस्य |
| संयुक्त/अपर सचिव (पशुधन स्वास्थ्य), डीएएचडी | सदस्य |
| भाग लेने वाले राज्यों के पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव | सदस्य |
| निदेशक, (CSSNIAH), बागपत | सदस्य |
| संयुक्त आयुक्त (एलएच) | सदस्य सचिव |

1. एनएससी, एलएचडीसीपी योजना के कार्यकलापों की देखरेख करेगी, समग्र निर्देश और मार्गदर्शन देगी, इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगी।
2. जब भी आवश्यकता होगी, एनएससी निधियन पैटर्न को प्रभावित करने वाले संशोधनों के अलावा परिचालन दिशानिर्देशों में किसी भी अन्‍य संशोधन की सिफारिश करेगी।
3. एनएससी, एलएचडीसीपी के तहत निधियन के लिए आईए/राज्यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावित राज्य कार्य योजनाओं के कार्यकलापों को स्‍वीकृति देगी। परियोजनाओं को स्‍वीकृति के लिए एनएससी के समक्ष रखने से पहले डीएएचडी के अधिकारियों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा।
4. एनएससी के पास समीक्षा के आधार पर वास्‍तविक और वित्तीय लक्ष्यों को संशोधित करने, कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंडों तथा परियोजना क्षेत्र, एनएससी की संरचना, घटक संरचना और पुनर्विनियोजन प्रस्तावों सहित अन्य दिशा-निर्देशों को शामिल करने और बदलने हेतु अनुमोदित करने की शक्ति होगी। कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परिवर्तन करने और शक्तियों के प्रत्‍यायोजना के लिए एनएससी को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।
5. एनएससी आवश्यकतानुसार समय-समय पर सदस्यों को ‘को-ऑप्‍ट’ कर सकती है ।
6. यह समिति वर्ष में दो बार या आवश्यकतानुसार जितनी बार चाहे बैठक करेगी। एनएससी के अध्यक्ष को एनएससी की अगली बैठक में देरी होने की स्थिति में एनएससी के अनुमोदन की प्रत्याशा में योजना में उपर्युक्त शर्तों और समायोजन को स्‍वीकृति देने का अधिकार होगा।

## तकनीकी सलाहकार समिति

तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की अध्यक्षता पशुपालन आयुक्त, डीएएचडी करेंगे और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

|  |  |
| --- | --- |
| पशुपालन आयुक्त, डीएएचडी | अध्यक्ष |
| सहायक महानिदेशक (पशु स्वास्थ्य), आईसीएआर | सदस्य |
| निदेशक, आईसीएआर-एनआईएफएमडी (ICAR-NIFMD) भुवनेश्वर | सदस्य |
| निदेशक, आईसीएआर-निवेदी (ICAR-NIVEDI), बेंगलुरु | सदस्य |
| निदेशक, सीसीएस-एनआईएएच (CCS-NIAH), बागपत | सदस्य |
| मानकीकरण प्रभाग के प्रमुख, आईसीएआर-आईवीआरआई (ICAR-IVRI) इज्जतनगर | सदस्य |
| सचिव, पशुपालन विभाग द्वारा चयनित दो राज्यों के पशुपालन विभाग के निदेशक, रोटेशन के आधार पर | सदस्य |
| संयुक्त आयुक्त (एलएच) | सदस्य सचिव |

समिति की बैठक तिमाही आधार पर कम से कम एक बार होगी। समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर सदस्यों को ‘को-ऑप्‍ट’ कर सकती है।

तकनीकी सलाहकार समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नलिखित के संबंध में सलाहकार प्रकृति की होंगी:

1. टीका गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन और अद्यतनीकरण
2. टीका गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन
3. टीकों के उपयोग और गुणवत्ता पर विवाद से संबंधित सभी तकनीकी मामलों की जांच करना
4. सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस के संबंध में नमूनाकरण योजनाएं निर्धारित करना तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना
5. एनएडीसीपी/सीएडीसीपी के तहत आईसीएआर संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना तथा एएससीएडी के तहत किसी भी संस्थान से प्राप्त अनुसंधान और प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण प्रस्तावों की जांच करना तथा एनएससी को सिफारिश प्रदान करना।
6. एफएमडी के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए मानक और पैरामीटर निर्धारित करना।
7. संयुक्त सचिव (पशुधन स्‍वास्‍थ्‍य) या उच्च प्राधिकारी द्वारा संदर्भित कोई अन्य मुद्दा।

## राज्य स्तरीय समिति

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग के एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

|  |  |
| --- | --- |
| पशुपालन विभाग के एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव | अध्यक्ष |
| मुख्य वन्यजीव वार्डन | सदस्य |
| पंचायती राज संस्थान के निदेशक | सदस्य |
| शहरी स्थानीय निकायों के निदेशक | सदस्य |
| संबंधित राज्य एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाओं के पीआई/सीओपीएस | सदस्य |
| संबंधित राज्य के केंद्रीय नोडल अधिकारी | सदस्य |
| निदेशक, आईसीएआर-एनआईएफएमडी द्वारा नामित एक वैज्ञानिक | सदस्य |
| निदेशक, पशुपालन विभाग | सदस्य सचिव |

राज्य निगरानी समिति प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम के समग्र कार्यकलापों की देखरेख करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* राज्य में एफएमडी टीकाकरण अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक टीकाकरण योजना।
* आगामी एफएमडी टीकाकरण अभियान को समय पर और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए राज्य की तैयारी।
* एक महीने पहले ही गांव स्तर तक टीकाकरण की सूक्ष्म योजना बनाना।
* सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए टीकाकरण अभियान से पहले राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर जागरूकता अभियान।
* टीकाकरण अभियान से पहले और उसके दौरान अंतिम कोल्ड चेन बिंदु तक पर्याप्त टीका खुराकों की उपलब्धता।
* टीकाकरण अभियान के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित टीकाकार, टीकाकरण सहायक उपकरण (टैग, एप्लीकेटर, सिरिंज, सुई आदि) और आवश्यक रसद की उपलब्धता।
* राज्य की शीत श्रृंखला लेखा परीक्षा (कोल्ड चेन ऑडिट) और यदि कोई कमी हो तो उसे पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार करना
* राज्य में एफएमडी टीकाकरण की प्रगति और निष्‍पादन
* रोग प्रकोप के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर आपातकालीन FMD टीका बैंक।
* नमूना योजना के अनुसार सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस कार्यकलाप
* प्रयोगशाला क्षमता विकसित करने सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रोग निगरानी कार्यकलाप का कार्यान्वयन
* रोग के प्रकोप की स्थिति में रोग के प्रसार को रोकने के लिए प्रकोप की जांच और शीघ्र एवं प्रभावी प्रकोप प्रबंधन
* रोग प्रकोप की स्थिति में रोग को अधिसूचित
* प्रकोप, टीकाकरण अभियान और सीरोमॉनिटरिंग, सीरोसर्विलांस पर DAHD को समय पर रिपोर्ट करना
* आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करने सहित अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जांच चौकियों की स्थापना के माध्यम से पशु आवागमन पर नियंत्रण।
* भारत पशुधन पोर्टल पर राज्य के पशु पंजीकरण एवं टीकाकरण डेटा अपलोड करना
* टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सिरिंज, सुई, दस्ताने, रूई, टीके की शीशियां आदि) सहित सभी प्रयुक्त या अपशिष्ट पदार्थों का निपटान।
* एक ही समय पर टीकाकरण अभियान चलाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एएचडी की आंतरिक निगरानी रिपोर्ट की समीक्षा।
* समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर सदस्यों का ‘को-ऑप्‍ट’ कर सकती है।

## जिला स्तरीय निगरानी समिति

संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की जाएगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:

|  |  |
| --- | --- |
| जिला मजिस्‍ट्रेट | अध्यक्ष |
| पंचायती राज संस्थान के जिला स्तरीय अधिकारी | सदस्य |
| शहरी स्थानीय निकायों के जिला स्तरीय अधिकारी | सदस्य |
| जिला स्तरीय पशुपालन/पशु चिकित्सा अधिकारी | सदस्य सचिव |
| अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य सदस्य को करना | सदस्य |

जिला स्तरीय निगरानी समिति संबंधित जिले में एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम के समग्र कार्यकलापों की देखरेख करेगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:

1. जिले में एफएमडी टीकाकरण अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक टीकाकरण योजना तैयार करना
2. आगामी एफएमडी टीकाकरण अभियान को समय पर और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिले की तैयारी
3. संबंधित जिले में ग्राम स्तर तक टीकाकरण संबंधी सूक्ष्म-योजना (micro-planning) बनाना और उसका मूल्यांकन करना
4. सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए टीकाकरण अभियान से पहले जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर जागरूकता अभियान
5. टीकाकरण अभियान से पहले और उसके दौरान जिले के अंतिम कोल्ड चेन बिंदु तक पर्याप्त टीका खुराकों की उपलब्धता
6. जिले में टीकाकरण अभियान के लिए प्रशिक्षित टीका लगाने वालों, टीकाकरण सहायक उपकरण (टैग, एप्लीकेटर, सिरिंज, सुई आदि) और आवश्यक रसद की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता
7. जिले की शीत श्रृंखला लेखा परीक्षा (कोल्ड चेन ऑडिट) और यदि कोई कमी हो तो उसे पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार करना
8. जिले में एफएमडी टीकाकरण की प्रगति और निष्‍पादन
9. नमूनाकरण योजना के अनुसार जिले में सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस कार्यकलाप
10. जिले में रोग निगरानी कार्यकलाप
11. रोग के प्रकोप की स्थिति में रोग के प्रसार को रोकने के लिए प्रकोप की जांच और शीघ्र एवं प्रभावी प्रकोप प्रबंधन
12. भारत पशुधन पोर्टल पर जिले के पशु पंजीकरण एवं टीकाकरण डेटा अपलोड करना
13. टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सिरिंज, सुई, दस्ताने, रूई, टीके की शीशियां आदि) सहित सभी प्रयुक्त या अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान।
14. राज्य स्तरीय निगरानी समिति को समय पर प्रकोप और टीकाकरण अभियान की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना
15. चैक पोस्टों के माध्यम से पशुओं की आवाजाही संबंधी नियंत्रण को प्रबंधित करना
16. एएचडी की जिला स्तरीय आंतरिक निगरानी रिपोर्ट की समीक्षा
17. समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर सदस्यों को ‘को-ऑप्‍ट’ कर सकती है

## ब्‍लॉक स्तरीय निगरानी समिति

ब्‍लॉक स्तरीय निगरानी समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा:

|  |  |
| --- | --- |
| ब्‍लॉक विकास अधिकारी | अध्यक्ष |
| ब्‍लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी | सदस्य सचिव |
| ब्‍लॉक में स्थित वन रेंज अधिकारी | सदस्य |
| पंचायती राज संस्थान के ब्‍लॉक स्तरीय अधिकारी | सदस्य |
| शहरी स्थानीय निकायों के ब्‍लॉक स्तरीय अधिकारी | सदस्य |
| ब्‍लॉक का एक प्रगतिशील डेयरी किसान | सदस्य |

ब्‍लॉक स्तरीय निगरानी समिति संबंधित ब्‍लॉक में FMD नियंत्रण कार्यक्रम के समग्र कार्यकलापों की देखरेख करेगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:

1. प्रब्‍लॉक में FMD टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय टीकाकरण योजना तैयार करना
2. आगामी FMD टीकाकरण अभियान को समय पर और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए ब्‍लॉक की तैयारी सुनिश्चित करना
3. ग्राम स्तर तक टीकाकरण सूक्ष्म-योजना की तैयारी एवं मूल्यांकन
4. सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए टीकाकरण अभियान से पहले ब्‍लॉक और गांव स्तर पर जागरूकता अभियान सुनिश्चित करना
5. टीकाकरण अभियान से पहले और उसके दौरान अंतिम शीत श्रृंखला बिंदु तक पर्याप्त टीका खुराकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
6. टीकाकरण अभियान के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित टीकाकार, टीकाकरण सहायक उपकरण (टैग, एप्लीकेटर, सिरिंज, सुई आदि) और आवश्यक रसद की उपलब्धता सुनिश्चित करना
7. ब्‍लॉक की शीत श्रृंखला परीक्षा (कोल्ड चेन ऑडिट) करना और उसे जिला स्तरीय निगरानी समिति को सूचित करना
8. ब्‍लॉक में अंतिम छोर तक एफएमडी टीकाकरण की प्रगति और निष्‍पादन का प्रबंधन, निगरानी और समीक्षा करना
9. नमूना योजना के अनुसार सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस कार्यकलापों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
10. ब्‍लॉक में सुदृढ़ रोग निगरानी कार्यकलाप का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
11. रोग के प्रकोप की स्थिति में रोग के प्रसार को रोकने के लिए प्रकोप जांच की निगरानी करना तथा शीघ्र एवं प्रभावी प्रकोप प्रबंधन सुनिश्चित करना
12. जनशक्ति, सहायक सामग्री, रसद, शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) आदि की आवश्यकताओं को समय पर जिला स्तरीय निगरानी समिति को सूचित करना
13. भारत पशुधन पोर्टल पर ब्लॉक के पशु पंजीकरण एवं टीकाकरण डेटा अपलोड करना सुनिश्चित करना
14. टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सिरिंज, सुई, दस्ताने, रूई, टीके की शीशियां आदि) सहित सभी प्रयुक्त या अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान सुनिश्चित करना।
15. प्रकोप, टीकाकरण अभियान और सीरोमॉनिटरिंग, सीरोसर्विलांस की विस्तृत रिपोर्ट समय पर जिला स्तरीय निगरानी समिति को प्रस्तुत करना
16. ब्‍लॉक स्तर पर आंतरिक निगरानी रिपोर्ट की समीक्षा
17. समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर सदस्यों का ‘को-ऑप्‍ट’ कर सकती है

# 6. आंतरिक निगरानी

पशुधन स्‍वास्‍थ्‍य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग (AHD) को ब्‍लॉक, जिला और राज्य स्तर पर तीन स्तरीय आंतरिक निगरानी तंत्र तैयार करना होगा।

# 7. रिपोर्टिंग तंत्र

राज्य, टीकाकरण के बाद यथाशीघ्र NDLM पोर्टल के माध्यम से FMD, ब्रुसेलोसिस, PPR और CSF के टीकाकरण की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगा।

एनडीएलएम (NDLM) पोर्टल के समर्पित मॉड्यूल के माध्यम से राज्य द्वारा वास्तविक समय पर रोग के प्रकोप की सूचना दी जाएगी।

एफएमडी (FMD) नेटवर्क प्रयोगशालाएं और ICAR-NIFMD SS-SM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

# 8. कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और उसकी निगरानी के लिए सलाहकारों की नियुक्ति

पशुधन स्‍वास्‍थ्‍य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए केंद्र स्तर पर सलाहकारों (तकनीकी, कानूनी, वित्त, प्रबंधकीय, संविदा प्रबंधन आदि) की नियुक्ति की जाएगी, जिसका नेतृत्व संयुक्त/अपर सचिव (LH), पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) करेंगे। पीएमए की जिम्मेदारियों में राज्यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों से NADCP (FMD-IP ब्रुसेला-CP), CADCP (PPR-IP, CSF) के लिए LHDCP हेतु वार्षिक कार्य योजनाओं का संग्रह, मिलान और विश्लेषण शामिल होगा, ताकि NSC द्वारा केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को निधियों संस्‍वीकृत करने पर विचार किया जा सके।

सलाहकार राज्यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में LHDCP घटकों के संचालन की योजना का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें जनशक्ति की आवश्यकता और तैनाती, उनका प्रशिक्षण, राज्यों, जिलों और ब्‍लॉक में विभिन्न स्तरों पर शीत श्रृंखला (कोल्ड-चेन) अवसंरचना प्रबंधन, टीकों की उपलब्धता और वितरण, ईयर टैग और टैग एप्लीकेटर शामिल हैं तथा बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाएंगे। इसके अलावा, सलाहकार कार्यक्रम की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें जन जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षणों की योजना बनाना और केंद्रीय स्तर (NDDB) पर डेटाबेस का प्रबंधन, ऑनलाइन (डैशबोर्ड, आदि) और केंद्र में स्थापित कॉल सेंटर के माध्यम से तैयार किए गए डेटाबेस का प्रबंधन शामिल है।

# 9. कार्यक्रम लॉजिस्टिक्स एजेंसी (PLA) नियुक्‍त करना

एक कार्यक्रम लॉजिस्टिक्स एजेंसी (PLA) को केंद्रीय रूप से टीकों, ईयर टैग और टैग एप्लीकेटर की खरीद के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह इस संबंध में निम्नलिखित कार्यकलाप करेगी -

1. पीएलए (PLA) टीके की खुराक, टैग और एप्लीकेटर, टीकाकरण की समय सूची और टीकों की आपूर्ति की आवश्यकता का आकलन करने के लिए केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (PMA) के साथ समन्वय करेगी।
2. पीएलए (PLA) पशुपालन और डेयरी विभाग के परामर्श से निविदा दस्तावेज तैयार करेगी, निविदाएं आमंत्रित करेगी, टीका आपूर्तिकर्ताओं, टैग और एप्लीकेटर के लिए बोली दस्तावेजों की जांच करेगी और प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं को अंतिम रूप देगी।
3. मूल्यांकन बोलीदाता की योग्यता (तकनीकी और वित्तीय) के आधार पर, आपूर्तिकर्ताओं की पहचान PLA द्वारा की जाएगी। मद, बोली के विनिर्देशों, नियमों और शर्तों के अनुसार होंगे।
4. टीकों के लिए, विनिर्देशों के अनुसार पात्रता की जांच करने के लिए ICAR/CCSNIAH के माध्यम से गुणवत्ता के लिए पूर्व परीक्षण किया जाएगा। PLA इस उद्देश्य के लिए संस्थानों और टीके निर्माताओं के साथ समन्वय करेगी
5. पीएलए (PLA) को पहले से ही विशिष्ट गंतव्य के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं की पहचान सहित वितरण कार्यक्रम की योजना बनानी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माता राज्य कार्य योजनाओं के अनुसार आवश्यकताओं के आधार पर टीकों के लिए शीत श्रृंखला (कोल्ड-चेन) बनाए रखते हुए जिला स्तर पर टीके और ईयर टैग आदि की आपूर्ति करें।
6. पीएलए (PLA) निर्माता द्वारा ईयर टैग और एप्लीकेटर के साथ टीके भेजे जाने से पहले ) निर्माता के छोर पर उसका वास्‍तविक सत्यापन करेगा। इसमें तापमान लॉगर आदि के माध्यम से टीके की समाप्ति (expiry) तिथि शामिल होगी। पीएलए (PLA) टीके भेजने से पहले निर्माता द्वारा की गई गुणवत्ता जांच रिपोर्ट भी प्राप्त करेगा। PLA विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित SOP के अनुसार IVRI/CCSNIAH के समन्वय में टीके भेजने से पहले टीका बैचों की यादृच्छिक गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करेगा।
7. पीएलए (PLA) यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री प्राप्त करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैकेजों की सामग्री की जांच करें और गंतव्य पर प्राप्त टीकों की संख्या और तापमान लॉगर्स आदि के माध्यम से टीकों की समाप्ति तिथि को रिकॉर्ड करें। एनएडीसीपी के तहत उपयोग किए जाने वाले टीकों की बैचवार ट्रेसबिलिटी को पीएलए द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से बनाए रखा जाना है।
8. टीकों, ईयर टैग और एप्लीकेटर की प्राप्ति के साथ-साथ तापमान लॉगर आदि के माध्यम से टीकों की समाप्ति तिथि की पुष्टि के लिए क्षेत्र स्तर पर यादृच्छिक जांच भी की जाएगी।
9. पीएलए (PLA) आपूर्ति किए गए टीके के संबंध में सीरोमॉनिटरिंग के परिणामों सहित प्रत्येक घटक की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में संबंधित राज्य पशुपालन विभागों से स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर टीके के आपूर्तिकर्ताओं और एप्लीकेटर सहित ईयर-टैग आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान जारी करेगा।
10. पीएलए (PLA), समय-समय पर कार्यकलापों के विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए DAHD से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा, जैसे कि चयनित आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर देना, आपूर्तिकर्ताओं को पैसा जारी करना आदि।
11. पीएलए (PLA) यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय प्रकृति के मामलों से निपटने के दौरान वित्त मंत्रालय के G.F.R. का सख्ती से पालन किया जाएगा। PLA टीकों, ईयर टैग और टैग एप्लीकेटर की खरीद के संबंध में बिलों के सत्यापन और भुगतान के लिए चेकलिस्ट का पालन करेगा।
12. एनएडीसीपी के लिए पीएलए द्वारा बैंक में एक अलग खाता खोला जाएगा और निधियों का रिकॉर्ड सावधानीपूर्वक रखा जाएगा।
13. पीएलए नियमित आधार पर किए जाने वाले सभी कार्यकलापों के बारे में DAHD को सूचित करेगा।

# 10. योजना का मूल्यांकन

योजना के कार्यक्रम का मध्यावधि और अंतिम अवधि मूल्यांकन एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम भारत सरकार की मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार लेखापरीक्षा के अधीन भी होगा।

# 11. अनुबंध

## अनुबंध-1: एनएडीसीपी-एफएमडी लागत मानदंड

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं .** | **विवरण** | **प्रति इकाई अनुमोदित दर** |
| 1​ | टीकाकरण सहायक उपकरण | 3.00 /- रु. प्रति पशु |
| 2​ | सुअर सहित बड़े पशुओं के टीकाकरण के लिए पारिश्रमिक | 5.00/- रुपये प्रति पशु |
| 3​ | छोटे पशुओं के टीकाकरण के लिए पारिश्रमिक | 4.00/- रु. प्रति पशु |
| 4​ | प्रति ब्‍लॉक जागरूकता | प्रति वर्ष दो चरणों के लिए 10,000/- रुपये प्रति ब्‍लॉक |
| 5​ | सुअर सहित बड़े पशुओं के लिए भारत पशुधन एनडीएलएम पोर्टल पर ईयर टैगिंग और पंजीकरण | 5.00/- रुपये प्रति पशु |
| 6​ | छोटे पशुओं के लिए भारत पशुधन एनडीएलएम पोर्टल पर ईयर टैगिंग और पंजीकरण | 3.00/- रु. प्रति पशु |
| 7​ | चैक पोस्ट की स्थापना/सुदृढ़ीकरण  (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को चेकपोस्ट पर कर्मियों की तैनाती और अन्य आवर्ती व्यय का वहन करना होगा) | प्रति चैकपोस्ट 10/- लाख रु. |

## अनुबंध-2: एनएडीसीपी- ब्रुसेलोसिस लागत मानदंड

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम संख्या** | **विवरण** | **प्रति इकाई अनुमोदित दर  ​** |
| 1 | टीकाकरण सहायक उपकरण ​ | 6.5/- रु. प्रति पशु |
| 2 | सूअरों सहित बड़े पशुओं के टीकाकरण के लिए पारिश्रमिक | 5.00/- रु. प्रति पशु |
| 3 | ब्‍लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम | 5000/- रु. प्रति ब्‍लॉक |
| 4 | सुअर सहित बड़े पशुओं के लिए भारत पशुधन एनडीएलएम पोर्टल पर ईयर टैगिंग और पंजीकरण | 5.00/- रु. प्रति पशु |
| 5 | प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में एलिसा प्रयोगशाला को सुदृढ़ बनाना | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक बारगी 30.00 लाख रुपये की सहायता    ​ |
| 6 | 36 एलिसा प्रयोगशालाओं के लिए उपभोग्य सामग्रियों पर व्यय   ​ | प्रति वर्ष  20 लाख रुपये |
| 7 | ग्राम स्तर पर  स्क्रीनिंग का आयोजन | 5/- रु. प्रति नमूना |

## अनुबंध-3: पेस्ट डेस पेटिट्स-रुमिनेंट्स (पीपीआर-ईपी) लागत मानदंड

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम संख्या** | **विवरण** | **प्रति इकाई ​** **अनुमोदित दर** |
| 1 | टीकाकरण सहायक उपकरण ​ | 3.00/- रु. प्रति पशु |
| 2 | सूअरों सहित बड़े पशुओं के टीकाकरण के लिए पारिश्रमिक | 4.00/- रु. प्रति पशु |
| 3 | ब्‍लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम | 5000/- रु. प्रति ब्‍लॉक |

## अनुबंध-4: क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) लागत मानदंड

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **विवरण** | **प्रति इकाई संस्वीकृत दर  ​** |
| 1 | टीकाकरण सहायक उपकरण | रु. 3.00/- प्रति पशु |
| 2 | टीकाकरण  के लिए पारिश्रमिक | रु. 5.00/- प्रति पशु |
| 3 | राज्यों के लिए जागरूकता ​ | प्रति राज्य 5.00 लाख रुपये ​ |
| 4 | प्रयोगशालाओं की सुदृढ़ीकरण के लिए निधियन | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार  वार्षिक  गैर-आवर्ती लागत के लिए 10.00 लाख रुपये और आवर्ती लागत के लिए 3.00 लाख |

## अनुबंध-5: एमवीयू लागत मानदंड

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| एमवीयू के तहत प्रावधान | | | | |
| एमवीयू की आवर्ती लागत/वर्ष (लाख रु. में) | | | | |
| क्र.सं. | घट‍क | एमवीयू की संख्या | दर/इकाई/माह | प्रति वर्ष/प्रति एमवीयू लागत |
| 1 | पशु चिकित्सकों की आउटसोर्सिंग | 1 | 0.561 | 6.732 |
| 2 | पैरा-पशु चिकित्‍सकों की आउटसोर्सिंग | 1 | 0.20 | 2.4 |
| 3 | ड्राइवर-सह-अटेंडेंट की आउटसोर्सिंग | 1 | 0.18 | 2.16 |
| 4 | दवाइयों, सर्जिकल सामग्री आदि की खरीद | 1 | 0.35 | 4.20 |
| 5 | ईंधन (पेट्रोल/डीजल तेल/ल्‍यूब्रिकेंट आदि)/  वाहनों का रखरखाव/टोल फ्री, इंटरनेट, जीपीएस, प्रचार आदि | 1 | 0.33 | 3.96 |
|  | कुल |  | 1.621 | 19.452 |

**नोट:- यदि आउटसोर्स पशु चिकित्सक उनके अगले वर्ष भी जारी रहेंगे, तो के लिए 3% की वार्षिक वृद्धि होगी।**

**20 एमवीयू के लिए आवर्ती लागत\_ कॉल सेंटर / वर्ष (लाख रुपए में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | कार्यकलाप | कार्मिकों की संख्या | दर प्रति माह\*\* | लागत / वर्ष |
| 1 | पशुचिकित्सकों की आउटसोर्सिंग | 1 | 0.561 | 6.732 |
| 2 | कॉल एग्जीक्यूटिव की आउटसोर्सिंग | 1 | 0.15 | 0.18 |
|  | कुल |  | 0.711 | 6.912 |

* प्रत्येक राज्य स्तरीय कॉल सेंटर इकाई में लगभग 20 एम.वी.यू. के लिए 1 पशुचिकित्सक तथा 3 कॉल एग्जीक्यूटिव होंगे। 100 एम.वी.यू. के लिए 2 पशुचिकित्सक तथा 6 कॉल एग्जीक्यूटिव होंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 एम.वी.यू. के लिए 1 पशुचिकित्सक तथा 3 कॉल सेंटर अधिकारी की आवश्यकता होगी।
* कॉल सेंटर चलाने का कार्यालय व्यय 1 पशुचिकित्सक और 3 कॉल एग्जीक्यूटिव वाले कॉल सेंटर के लिए 5000/- रुपये प्रति माह होगा और 1 पशुचिकित्सक और 3 कॉल एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति के लिए 2000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त व्यय होगा। यह केंद्र-राज्य साझेदारी के आधार पर लागू होगा (अन्य सभी राज्यों के लिए 60-40/पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90-10/संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए 100%)

## अनुबंध-6: एएससीएडी (ASCAD) लागत मानदंड

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपनी स्थानीय रणनीतियों और वार्षिक टीकाकरण समय-सीमा तक पहुँच प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी उचित प्रक्रियाओं और जीएफआर/जीईएम के खरीद दिशा-निर्देशों का पालन करने के बाद राज्य निविदा के माध्यम से टीके खरीद सकती हैं। सभी टीकों के लिए पिछले तीन वर्षों की दरों के आधार पर खरीद दरों का प्रस्ताव अस्थायी रूप से किया जा सकता है।

| **अनुसंधान एवं नवाचार, प्रचार एवं जागरूकता, प्रशिक्षण, आदि (100%) (दर रु. में)** | | |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **संकेतक** | **दरें (अधिकतम)** |
| 1 | ब्‍लॉक स्तरीय शिविर | 5000 |
| 2 | जिला स्तरीय शिविर | 15000 |
| 3 | पशु चिकित्सक प्रशिक्षण | 12500 |
| 4 | पैरा पशु चिकित्‍सक प्रशिक्षण | 7500 |
| 5 | राज्य स्तरीय कार्यशाला/सेमिनार | 2,00,000/कार्यशाला |
| 6 | मुद्रण / प्रकाशन | 50,000/जिला |
| 7 | अनुसंधान | आवश्यकतानुसार / एनएससी के अनुमोदन के अधीन |
| 8 | राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला संगोष्ठी/सम्मेलन | आवश्यकतानुसार / एनएससी के अनुमोदन के अधीन |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **राज्य स्तरीय प्रयोगशाला** | **सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दर**  **लागत/प्रति प्रयोगशाला** | **टिप्पणी** |
| क | नवीनीकरण / परिवर्तन | 20 लाख | पांच साल में एक बार |
| ख | उपकरण | 10 लाख |
| ग | रोग रिपोर्टिंग प्रणाली |
| घ | आवर्ती | 1 लाख | वार्षिक |
| **2** | **जिला स्तरीय प्रयोगशाला** | **सभी राज्यों के लिए दर** | **टिप्पणी** |
| क | नवीनीकरण / परिवर्तन | 20 लाख | पांच साल में एक बार |
| ख | उपकरण |
| ग | रोग रिपोर्टिंग प्रणाली |
| घ | आवर्ती | 1 लाख/जिला | वार्षिक |
| **3** | **ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशाला** | **सभी राज्यों के लिए दर** | **टिप्पणी** |
| क | नवीनीकरण / परिवर्तन | 10 लाख | पांच साल में एक बार |
| ख | उपकरण |
| ग | रोग रिपोर्टिंग प्रणाली |
| घ | आवर्ती | 25000/ब्लॉक | वार्षिक |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **जैविक उत्पादन इकाई का सुदृढ़ीकरण (60:40/90:10/100 संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए) (दर रुपये में)** | | |
| **राज्‍य स्‍तरीय प्रयोगशाला** | | **सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दर** |
| क | नवीनीकरण / परिवर्तन | 60 लाख/बीपीयू |
| ख | उपकरण |
| ग | आवर्ती |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण (60:40) (90:10) (100 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)** | | |
| **क्र.सं.** | **संकेतक** | **टिप्पणी** |
| 1 | बीएसएल I, II की स्थापना/सुदृढ़ीकरण | इसके आउटपुट संबंधी तकनीकी मूल्यांकन के लिए केंद्रीय स्तर पर एक समिति और निधि की उपलब्धता, तकनीकी मूल्यांकन समिति की मंजूरी और एनएससी की मंजूरी के अधीन |

\* **(राज्य जैविक इकाइयों) के लिए अच्छी विनिर्माण प्रक्रिया और रोग निदान प्रयोगशालाओं के लिए अच्छी प्रयोगशाला प्रक्रियाओं (जीएलपी) के अनुपालन के अधीन।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **पशुवध (कलिंग) के लिए किसान को मुआवजे का भुगतान (50:50) (दर रु. में)** | | |
| i | एएसएफ (अफ्रीकी स्वाइन फीवर) | मांग एवं प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार दिया गया 50:50 |
| ii | एआई (एवियन इन्फ्लूएंजा) |
| iii | ग्‍लैडर्स |
| **आकस्मिक एवं विदेशी रोगों पर नियंत्रण (60:40)/ (90:10)/100% संघ राज्‍य क्षेत्र** | | |
| i | एवियन इन्फ्लूएंजा, एलएसडी, ग्लैंडर आदि सहित विदेशी और उभरते रोगों के लिए निगरानी कार्य और कार्यकलापों हेतु सीरम/नमूना सामग्री का नेमी संग्रह | 1 लाख /जिला |

**ए हेल्‍प के लिए पशु सखी के प्रशिक्षण हेतु लागत मानदंड:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **घटक** | **इकाई लागत (रु.)** | **अवधि-दिन/सं.** | **राशि (रु.)** |
| ए-हेल्‍प और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण | 2,000 | 16 | 32,000 |
| किट की खरीद | 2,000 | 1 | 2,000 |
| यात्रा (आना-जाना) | 600 | 1 | 600 |
| प्रतिदिन वजीफा | 350 | 16 | 5,600 |
| **प्रति व्यक्ति ए-हेल्‍प प्रशिक्षण की कुल लागत** | | | **40,200/-** |
| **पशु सखियों को ए-हेल्‍प का प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों (पशु चिकित्सकों के लिए) का प्रशिक्षण (एनडीडीबी के माध्यम से)** | | | **पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित दरों के भीतर वास्तविक आधार पर** |

## अनुबंध 7: एनएडीसीपी (एफएमडी) – वार्षिक कार्य योजना के लिए टेम्पलेट

**राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के लिए वार्षिक राज्य कार्य योजना हेतु मानक टेम्पलेट**

**खुरपका और मुंहपका रोग**

* कार्यान्वयन एजेंसी का नाम-
* पता -
* टेलीफोन नं. और फैक्स नं. -
* विभागाध्यक्ष का ईमेल आईडी -
* **नोडल अधिकारी (नाम/पद/मोबाइल/ईमेल आईडी)** –

1. **पशु आबादी:** ( *प्रजातिवार (संख्या) और जिलावार* )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.स. | जिला का नाम गोपशु भैंस भेंड़ बकरी सुअर |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |

2. **एफएमडी टीकाकरण रिपोर्ट।**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम\_**  **संख्या** | **जिलों का नाम** | **कुल वैक्सीन खुराकें** | **कुल टीकाकरण किए गए पशु**  (NDLM**)** | **आरंभ तिथि** | **अंतिम तिथि** | **बूस्टर खुराकों की गई खुराकें** | **हानि** | **उपयोग किए गए कुल टीके  (4+7+8)** | **राज्य के पास बची वैक्सीन  (3-9)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. **पिछले वर्ष की एफएमडी प्रकोप रिपोर्ट –**

*(पिछले वर्ष के प्रकोप का* *जिलावार ब्यौरा)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **प्रकोपों की संख्या** | | | | |  | **संवेदनशील पशुओं की संख्या** | | | | |  | **मामलों की संख्या** | | | | |  | **मौतों की संख्या** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.जिलावार प्रस्तावित वैक्सीन आवश्यकता और टीकाकरण कार्यक्रम**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र. सं. | जिले का नाम | एक दौर के लिए आवश्यक खुराकों की संख्या | | | | | | | अपेक्षित टीकाकरण प्रारंभ तिथि | अपेक्षित टीकाकरण समाप्ति तिथि |
| गोपशु | भैंस | प्राथमिक टीकाकरण के बाद बूस्टर टीकाकरण के लिए बोवाइन बछड़े | बकरी | भेड़ | सुअर | कुल |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* बोवाइन बछड़ों को प्राथमिक टीकाकरण (जन्म के बाद पहली बार टीकाकरण) के एक महीने बाद बूस्टर दिया जाना चाहिए।**   
**@ बकरी और भेड़ के लिए खुराक बोवाइन और सूअरों की तुलना में आधी है।**

5. **जिलावार टैगिंग आवश्यकता और टैगिंग समय-सीमा**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र. सं. | ज़िला | अपेक्षित टैग और एप्लिकेटर की संख्या (100%)  कवरेज) | | | | | | उपलब्ध टैग और एप्लीकेटर की संख्या | शेष टैग और एप्लीकेटर की आवश्यकता | टैगिंग की अपेक्षित आरंभ तिथि\* | टैगिंग की अपेक्षित समाप्ति तिथि |
|  |  |  | भैंस |  |  |  |  |
|  |  | गोपशु |  | भेंड़ | बकरी | सुअर | कुल |  |  |  |  |

6. **जन जागरूकता के लिए किए जाने वाले कार्यकलाप** *- (प्रस्तावित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण, जैसे वाल राइटिंग)/ बैनर / पोस्टर / ऑडियो-विजुअल / रेडियो विज्ञापन, आदि राज्य / जिला / ब्लॉक / गांव स्तर पर)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **वाल राइटिंग** | **फिल्मों सहित ऑडियो-विजुअल** | **रेडियो विज्ञापन** | **पोस्टर** | **बैनर / होर्डिंग्स** | **सार्वजनिक घोषणाएँ और पैम्फलेटों का वितरण** |
| राज्य | AVD से 1 महीने पहले | A.V.D से 15 दिन पहले और सम्पूर्ण टीकाकरण के दौरान | A.V.D. से 15 दिन पहले और सम्पूर्ण टीकाकरण के दौरान | एवीडी से एक माह पहले राज्य परिवहन बसों आदि पर | AVD से 1 महीने पहले | - |
| ज़िला | -तदैव- | AVD से 15 दिन पहले | - | AVD से 1 सप्ताह पहले | AVD से 15 दिन पहले | - |
| ब्लॉक | - तदैव - | - तदैव - | - | - तदैव - | - तदैव - | AVD से 2 दिन पहले |
| गाँव | - तदैव - | - तदैव - | - | - तदैव - | - तदैव - | - |

1. **एनएडीसीपी के तहत जिलों/ब्लॉकों में एफएमडी वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन रखरखाव हेतु बुनियादी ढांचा योजना**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| एसआई | जिला/राज्य का नाम | | कोल्ड चेन सुविधा का प्रकार (जिला/ताल्लुका / ब्लॉक स्तर) | कोल्ड चेन सुविधा का स्थान | उपलब्ध उपकरणों के प्रकार (कोल्ड  चेन) - डब्ल्यूआईसी,  आईएलआर, कोल्ड कैबिनेट, एक्टिव कूल बॉक्स आदि। | खरीद/स्थापना का वर्ष | स्थिति (कार्यरत/ गैर-कार्यरत ) | क्षमता ( लीटर में ) | आवश्यकता ( लीटर में ) | उपलब्ध ( लीटर में ) | कमी | टिप्पणी |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **WIC - वॉक इन कोल्ड रूम ILR - आइस लाइन रेफ्रिजरेटर** | | | | | | | | | | |

1. **पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सीरो-मॉनीटरिंग योजना का विवरण** *(नमूनों का संग्रह, क्षेत्र स्तर पर संरक्षण, राज्य प्रयोगशाला तक परिवहन, राज्य प्रयोगशाला में भंडारण सुविधा और अंततः सीरो-मॉनीटरिंग के लिए प्रयोगशाला तक का विवरण)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रम सं. | ज़िला | नमूना संग्रह के लिए चयनित गांवों की संख्या | पिछले वर्ष एकत्रित किये जाने वाले नमूनों की संख्या (निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजे गये) | | |
|  | 0 दिन (टीकाकरण-पूर्व) | 30 दिन (टीकाकरण के बाद) | कुल |
|  |  |  |  |  |  |

9. **पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सीरो-सर्विलांस का ब्यौरा** *(नमूनों का संग्रह, क्षेत्र स्तर पर संरक्षण, राज्य प्रयोगशाला तक परिवहन, राज्य प्रयोगशाला में भंडारण सुविधा और अंततः सीरो-सर्विलांस के लिए प्रयोगशाला तक का ब्यौरा )*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र. सं. | ज़िला | नमूने के लिए चयनित गांवों की संख्या | पिछले वर्ष एकत्रित किये जाने वाले नमूनों की संख्या (निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजे गये) |
|  |  |  |  |

10.**एनएडीसीपी के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण योजना** - *(टीकाकरण, क्षेत्र स्तर पर कोल्ड चेन रखरखाव* *की निगरानी के लिए योजनाओं का विवरण)*

* प्रत्येक जिले के लिए राज्य नोडल अधिकारी द्वारा निगरानी (टीकाकरण के दौरान और बाद में - पूरे टीकाकरण के दौरान कम से कम 2 दौरे)
* **टीकाकरण की निगरानी ब्लॉक पशु चिकित्सक/अस्पताल स्तर के पशु चिकित्सक द्वारा की जाएगी**
* **टीकाकरण के समय टीका लगाने वालों को पशु मालिक का नाम, यूआईडी (आधार संख्या) / मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा**

11. **एनएडीसीपी के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित वित्तीय आवश्यकता (मदवार)** - *(निर्धारित लागत के भीतर प्रत्येक मद के लिए वास्तविक वित्तीय आवश्यकता।*

## अनुबंध 8 : एनएडीसीपी (ब्रुसेलोसिस) – वार्षिक कार्य योजना के लिए टेम्पलेट

**ब्रुसेलोसिस** राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) हेतु वार्षिक राज्य कार्य योजना हेतु मानक टेम्पलेट

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **कार्यान्वयन एजेंसी का नाम** -
* पता -
* टेलीफोन नं. और फैक्स नं. -
* विभागाध्यक्ष का ईमेल आईडी -
* **नोडल अधिकारी** –

1. **पशु आबादी:** (*प्रजातिवार (संख्या) और जिलावार* )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र. सं. | जिला का नाम गोपशु भैंस भेंड बकरी सुअर |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |

2. **एफएमडी टीकाकरण रिपोर्ट**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम\_संख्या** | **जिलों का नाम** | **कुल वैक्सीन खुराक** | **कुल टीकाकरण किए गए पशु**  **(एनडीएलएम)** | **आरंभ तिथि** | **अंतिम तिथि** | **बूस्टर खुराक टीकाकरण के लिए उपयोग की गई खुराकों की संख्या** | **हानि** | **कुल उपयोग किये गए टीके  (4+7+8)** | **राज्य के पास बची वैक्सीन  (3-9)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. **पिछले वर्ष ब्रुसेलोसिस प्रकोप की रिपोर्ट –**

*(पिछले वर्ष के प्रकोप का जिलावार विवरण)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **अधिकेंद्र (एपीसेंटर)** | **जिले का नाम** | **प्रकोप की रिपोर्टिंग की तिथि** | **प्रकोपों की संख्या** | **संवेदनशील पशुओं की संख्या** | **मामलों की संख्या** | **मृत्यु की संख्या** | **परीक्षण प्रयोगशाला का नाम** | **पुष्टि की तिथि** | **सीरो टाईप** | **किए गए उपाय** | **प्रकोप का समाधान** | **समृद्धि की तिथि** | **कारण** |
| कुल | कुल | कुल | कुल |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. **जिलावार प्रस्तावित वैक्सीन आवश्यकता और टीकाकरण कार्यक्रम**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **जिले का नाम** | **अपेक्षित खुराकों की संख्या** |  |  | टीकाकरण कार्यक्रम |  |  |  |
|  | तारीखों के साथ महीना  साथ | तारीखों के साथ महीना | तारीखों के साथ महीना  महीना  तारीखों के | तारीखों के साथ महीना | **तारीखों सहित महीना** | **तारीखों सहित महीना** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ब्रुसेलोसिस टीकाकरण के लिए पशुओं की पहचान और पंजीकरण** ( एनएडीसीपी-एफएमडी/एनडीएलएम के तहत **टैगिंग पहले ही** की जा चुकी है**, जिसका उपयोग ब्रुसेलोसिस टीकाकरण रिकॉर्ड के लिए किया जाएगा** )

**6. जन जागरूकता के लिए किए जाने वाले कार्यकलाप** *– (राज्य / जिला / ब्लॉक / ग्राम स्तर पर प्रस्तावित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण, जैसे वाल राइटिंग / बैनर / पोस्टर / ऑडियो-विजुअल / रेडियो विज्ञापन, आदि)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **वाल राइटिंग** | **फिल्मों सहित ऑडियो-विजुअल** | **रेडियो विज्ञापन** | **पोस्टर** | **बैनर / होर्डिंग्स** | **सार्वजनिक घोषणाएँ और पैम्फलेटों का वितरण** |
| राज्य | AVD से 1 महीने पहले | A.V.D से 15 दिन पहले और सम्पूर्ण टीकाकरण के दौरान | A.V.D से 15 दिन पहले और सम्पूर्ण टीकाकरण के दौरान | एवीडी से एक माह पहले राज्य परिवहन बसों आदि पर | AVD से 1 महीना पहले | - |
| ज़िला | -तदैव- | AVD से 15 दिन पहले | - | AVD से 1 सप्ताह पहले | AVD से 15 दिन पहले | - |
| ब्लॉक | - तदैव - | - तदैव - | - | - तदैव - | - तदैव - | AVD से 2 दिन पहले |
| गाँव | - तदैव - | - तदैव - | - | - तदैव - | - तदैव - | - |

**7. पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सीरो मोनिटरिंग योजना का विवरण** *(नमूनों का संग्रह, क्षेत्र स्तर पर संरक्षण, राज्य प्रयोगशाला में परिवहन, राज्य प्रयोगशाला में भंडारण सुविधा और अंततः सीरो-मोनिटरिंग के लिए प्रयोगशाला तक का विवरण)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **ज़िला** | **नमूना संग्रह के लिए चयनित गांवों की संख्या** | **पिछले वर्ष एकत्रित किये जाने वाले नमूनों की संख्या (निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजे गये)** | | |
|  | **0 दिन**  **(टीकाकरण से पहले)** | **30 दिन (टीकाकरण के बाद)** | **कुल** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सीरोसर्विलांस योजना का विवरण** *(नमूनों का संग्रह, क्षेत्र स्तर पर संरक्षण, राज्य प्रयोगशाला तक परिवहन, राज्य प्रयोगशाला में भंडारण सुविधा और अंततः सीरोसर्विलांस के लिए प्रयोगशाला तक का विवरण)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **ज़िला** | **नमूने संग्रह के लिए चयनित गांवों की संख्या** | **पिछले वर्ष एकत्रित किये जाने वाले नमूनों की संख्या (निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजे गये)** |
|  |  |  |  |

1. **एनएडीसीपी के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण योजना** - *(टीकाकरण, क्षेत्र स्तर पर कोल्ड चेन रखरखाव की निगरानी के लिए योजनाओं का विवरण)*

* प्रत्येक जिले के लिए राज्य नोडल अधिकारी द्वारा निगरानी (टीकाकरण के दौरान और बाद में - पूरे टीकाकरण के दौरान कम से कम 2 दौरे)
* **टीकाकरण की निगरानी ब्लॉक पशु चिकित्सक/अस्पताल स्तर के पशु चिकित्सक द्वारा की जाएगी**
* **टीकाकरण के समय टीका लगाने वालों को पशु मालिक का नाम, यूआईडी (आधार संख्या) / मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा**

## अनुबंध 9: सीएडीसीपी (पीपीआर) – वार्षिक कार्य योजना के लिए टेम्पलेट

**पीपीआर के लिए एलएचडीसीपी के केंद्रीय क्षेत्र घटक के लिए वार्षिक राज्य कार्य योजना हेतु मानक टेम्पलेट**

* **कार्यान्वयन एजेंसी का नाम** –
* पता –
* टेलीफोन नं. और फैक्स नं. –
* विभागाध्यक्ष का ईमेल आईडी –
* **नोडल अधिकारी** –

1. **पशु आबादी:** ( *प्रजातिवार (संख्या) और जिलावार* )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं** | **जिले का नाम** | **भेड़** | **बकरी** | **कुल** |
|  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |

2. **पीपीआर टीकाकरण रिपोर्ट**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **जिलों का नाम** | **कुल प्राप्त वैक्सीन खुराक** | **कुल टीकाकरण किए गए पशु**  **(एनडीएलएम)** | **आरंभ तिथि** | **अंतिम तिथि** | **बूस्टर खुराक टीकाकरण के लिए उपयोग की गई खुराकों की संख्या** | **हानि** | **कुल उपयोग किये गए टीके  (4+7+8)** | **राज्य के पास बची वैक्सीन  (3-9)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. **पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए पीपीआर प्रकोप –**

*(पिछले वर्ष जिलेवार प्रकोप का विवरण)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | प्रकोपों की संख्या | संवेदनशील पशुओं की संख्या | मामलों की संख्या | मृत्यु की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | भेड़ + बकरी = कुल | भेड़ + बकरी = कुल | भेड़ + बकरी = कुल | भेड़ + बकरी = कुल |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. प्रस्तावित वैक्सीन आवश्यकता और टीकाकरण कार्यक्रम जिलावार**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **जिले का नाम** | **अपेक्षित खुराकों की संख्या** | | | **अपेक्षित टीकाकरण प्रारंभ तिथि** | **अपेक्षित टीकाकरण समाप्ति तिथि** |
| **बकरी** | **भेड़** | **कुल** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5. पीपीआर टीकाकरण के लिए पशुओं की पहचान और झुंड पंजीकरण** (**एनडीएलएम रिपोर्ट के अनुसार)**

6. **जन जागरूकता हेतु किए जाने वाले कार्यकलाप** *–*

*(राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर प्रस्तावित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण, जैसे वाल राइटिंग/बैनर/पोस्टर/ऑडियो-विजुअल/रेडियो विज्ञापन आदि)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **वाल राइटिंग** | **फिल्मों सहित ऑडियो-विजुअल** | **रेडियो विज्ञापन** | **पोस्टर** | **बैनर / होर्डिंग्स** | **सार्वजनिक घोषणाएँ और पैम्फलेटों का वितरण** |
| राज्य | AVD से 1 महीने पहले | AVD से 15 दिन पहले और संपूर्ण टीकाकरण के दौरान | AVD से 15 दिन पहले और संपूर्ण टीकाकरण के दौरान | एवीडी से एक माह पहले राज्य परिवहन बसों आदि पर | AVD से 1 महीना पहले | - |
| ज़िला | - तदैव - | AVD से 15 दिन पहले | - | AVD से 1 सप्ताह पहले | AVD से 15 दिन पहले | - |
| ब्लॉक | - तदैव - | - तदैव - | - | - तदैव - | - तदैव - | AVD से 2 दिन पहले |
| गाँव | - तदैव - | - तदैव - | - | - तदैव - | - तदैव - | - |

7. **पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सीरो-मोनिटरिंग योजना का** विवरण *(नमूनों का संग्रह, क्षेत्र स्तर पर संरक्षण, राज्य प्रयोगशाला में परिवहन, राज्य प्रयोगशाला में भंडारण सुविधा और अंततः सीरो-मोनिटरिंग के लिए प्रयोगशाला तक का विवरण)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **ज़िला** | **नमूना संग्रह के लिए चयनित गांवों की संख्या** | **पिछले वर्ष एकत्रित किये जाने वाले नमूनों की संख्या (निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजे गये)** | | | |
|  | **0 दिन (प्री- वैक्सीन)** | **30 दिन (टीकाकरण के बाद)** | **कुल** |
|  |  |  |  |  |  |

8. **पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सीरो सर्विलांस योजना का** विवरण *(नमूनों का संग्रह, क्षेत्र स्तर पर संरक्षण, राज्य प्रयोगशाला तक परिवहन, राज्य प्रयोगशाला में भंडारण सुविधा और अंततः सीरोसर्विलांस के लिए प्रयोगशाला तक का विवरण)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **ज़िला** | **नमूना संग्रह के लिए चयनित गांवों की संख्या** | **पिछले वर्ष एकत्रित किये जाने वाले नमूनों की संख्या (निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजे गये)** |
|  |  |  |  |

**9.पीपीआर के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण योजना** - *(टीकाकरण , क्षेत्र स्तर पर कोल्ड चेन की रखरखाव)* *निगरानी के लिए योजनाओं का विवरण)*

* प्रत्येक जिले के लिए राज्य नोडल अधिकारी द्वारा निगरानी (टीकाकरण के दौरान और बाद में - पूरे टीकाकरण के दौरान कम से कम 2 दौरे)

टीकाकरण)

* **टीकाकरण की निगरानी ब्लॉक पशु चिकित्सक/अस्पताल स्तर के पशु चिकित्सक द्वारा की जाएगी**
* **टीकाकरण के समय टीका लगाने वालों को पशु मालिक का नाम, यूआईडी (आधार संख्या) / मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा**

**10.एलएचडीसीपी** के केंद्र क्षेत्र घटक **के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित वित्तीय आवश्यकता (मद-वार)** - *(निर्धारित लागत के भीतर प्रत्येक मद के लिए वास्तविक वित्तीय आवश्यकता। संदर्भ के लिए सांकेतिक मदें नीचे* **अनुबंध 3 क में** *उल्लिखित हैं*

## अनुबंध 10: सीएडीसीपी (सीएसएफ) – वार्षिक कार्य योजना के लिए टेम्पलेट

**सीएसएफ के लिए एलएचडीसीपी के केंद्र क्षेत्र घटक के लिए वार्षिक राज्य कार्य योजना हेतु मानक टेम्पलेट**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **कार्यान्वयन एजेंसी का नाम** -
* पता -
* टेलीफोन नं. और फैक्स नं. -
* विभागाध्यक्ष का ईमेल आईडी -
* **नोडल अधिकारी** –

1. **पशु आबादी:** ( *प्रजातिवार (संख्या) और जिलावार* )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **जिले का नाम** | **सुअर** |
|  |  |  |
|  | कुल |  |

2. **सीएसएफ टीकाकरण रिपोर्ट.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.\_सं** | **जिलों का नाम** | **कुल प्राप्त वैक्सीन खुराक** | **कुल टीकाकरण किए गए पशु**  **(एनडीएलएम)** | **आरंभ तिथि** | **अंतिम तिथि** | **बूस्टर खुराक टीकाकरण के लिए उपयोग की गई खुराकों की संख्या** | **हानि** | **कुल टीका उपयोग  (4+7+8)** | **राज्य के पास बची वैक्सीन  (3-9)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. **पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए सी.एस.एफ. प्रकोप –**

*(पिछले वर्ष प्रकोप का जिलेवार विवरण)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | प्रकोपों की संख्या | संवेदनशील पशुओं की संख्या | मामलों की संख्या | मृत्यु की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | कुल  सुअर | कुल  सुअर | कुल  सुअर | कुल  सुअर |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **प्रस्तावित वैक्सीन आवश्यकता और टीकाकरण कार्यक्रम जिलावार**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **जिले का नाम** | **आवश्यक खुराकों की संख्या** | **अपेक्षित टीकाकरण प्रारंभ तिथि** | **अपेक्षित टीकाकरण समाप्ति तिथि** |
|  |  |  |  |  |

5. सीएसएफ टीकाकरण के लिए **पशुओं की पहचान और झुंड पंजीकरण** ( **एनडीएलएम रिपोर्ट के अनुसार)**

6. **जन** **जागरूकता हेतु किए जाने वाले कार्यकलाप** *- (प्रस्तावित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण, जैसे,राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर वाल राइटिंग/बैनर/पोस्टर/ऑडियो-विजुअल/रेडियो विज्ञापन आदि)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **वाल राइटिंग** | **फिल्मों सहित ऑडियो-विजुअल** | **रेडियो विज्ञापन** | **पोस्टर** | **बैनर / होर्डिंग्स** | **सार्वजनिक घोषणाएँ और पैम्फलेटों का वितरण** |
| राज्य | AVD से 1 महीने पहले | AVD से 15 दिन पहले और सम्पूर्ण टीकाकरण के दौरान | AVD से 15 दिन पहले और सम्पूर्ण टीकाकरण के दौरान | राज्य परिवहन बसों आदि पर एवीडी से एक माह पहले | 1महीना पहलेAVD | - |
| ज़िला | -तदैव | AVD से 15 दिन पहले | - | AVD से 1 सप्ताह पहले | AVD से 15 दिन पहले | - |
| ब्लॉक | - तदैव - | - तदैव - | - | - तदैव - | - तदैव - | AVD से 2 दिन पहले |
| गाँव | - तदैव - | - तदैव - | - | - तदैव - | - तदैव - | - |

7. **पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सीरो-मोनिटरिंग योजना का विवरण** *(नमूनों का संग्रह, क्षेत्र स्तर पर संरक्षण, राज्य प्रयोगशाला में परिवहन, राज्य प्रयोगशाला में भंडारण सुविधा और अंततः सीरो-मोनिटरिंग के लिए प्रयोगशाला तक का विवरण)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **ज़िला** | **नमूना संग्रह के लिए चयनित गांवों की संख्या** | **पिछले वर्ष एकत्रित किये जाने वाले नमूनों की संख्या (निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजे गये)** | | |
|  | **0 दिन (प्री- वैक्सीन )** | **30 दिन (टीकाकरण के बाद )** | **कुल** |
|  |  |  |  |  |  |

**8.पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सीरो सर्विलांस योजना का** *विवरण (नमूनों का संग्रह, क्षेत्र स्तर पर संरक्षण, राज्य प्रयोगशाला तक परिवहन, राज्य प्रयोगशाला में भंडारण सुविधा और अंततः सीरोसर्विलांस के लिए प्रयोगशाला तक का विवरण)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **ज़िला** | **नमूने के लिए चयनित गांवों की संख्या संग्रह** | **पिछले वर्ष एकत्रित किये जाने वाले नमूनों की संख्या (निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजे गये)** |
|  |  |  |  |

**9.सीएसएफ के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण योजना** - *(टीकाकरण , क्षेत्र स्तर पर कोल्ड चेन की रखरखाव)* *निगरानी के लिए योजनाओं का विवरण)*

-प्रत्येक जिले के लिए राज्य नोडल अधिकारी द्वारा निगरानी (टीकाकरण के दौरान और बाद में - पूरे टीकाकरण के दौरान कम से कम 2 दौरे)

* **टीकाकरण की निगरानी ब्लॉक पशु चिकित्सक/अस्पताल स्तर के पशु चिकित्सक द्वारा की जाएगी**
* **टीकाकरण के समय टीका लगाने वालों को पशु मालिक का नाम, यूआईडी (आधार संख्या) / मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा**

**एलएचडीसीपी** के केंद्र क्षेत्र घटक **के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित वित्तीय आवश्यकता (मद-वार)** - *(निर्धारित लागत के भीतर प्रत्येक मद के लिए वास्तविक वित्तीय आवश्यकता। संदर्भ के लिए सांकेतिक मदें नीचे* **अनुबंध 4 क में** *उल्लिखित हैं )*

## अनुबंध 11: एएससीएडी – राज्य प्रस्ताव के लिए टेम्पलेट

प्रस्ताव: वार्षिक कार्य योजना (वर्ष)

राज्य का नाम:-

नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण

नाम: -

पद का नाम: -

सम्पर्क विवरण: -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना | | |
| परियोजना लागत | केंद्रीय हिस्सा + राज्य हिस्सा | कार्रवाई अपेक्षित है | की गई कार्रवाई (हां/नहीं) |
| रुपये………… | रु.………………. + रु.…………. | प्रस्ताव अनुबंध 1 के रूप में संलग्न किया जाना है | हां नहीं |

(लाख रुपये में)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | पिछले तीन वर्षों का उपयोगिता प्रमाणपत्र (ASCAD) | | | | | |
| क्र.सं. | वर्ष | जारी निधि | उपयोग की गई निधि | यूएसबी | कार्रवाई: यू.सी. की प्रतियां संलग्न की जाएं (जी.एफ.आर. नियम के अनुसार) | की गई कार्रवाई (हां/नहीं) |
| 1 | 2022-23 |  |  |  | अनुबंध 2 | हां/नहीं |
| 2 | 2021-22 |  |  |  | अनुबंध 3 | हां/नहीं |
| 3 | 2020-21 |  |  |  | अनुबंध 4 | हां/नहीं |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | पिछले तीन वर्षों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (P&FPR) | | |
| क्र.सं. | वर्ष | कार्रवाई: वास्तविक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न की जाएंगी  (मदवार निधि, लक्ष्य और उपलब्धियां) | की गई कार्रवाई (हां/नहीं) |
| 1 | 2022-23 | अनुबंध 5 | हां/नहीं |
| 2 | 2021-22 | अनुबंध 6 | हां/नहीं |
| 3 | 2020-21 | अनुबंध 7 | हां/नहीं |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | कार्रवाई: निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार वचन-पत्र संलग्न किया जाना है | की गई कार्रवाई (हां/नहीं) |
| 1 | अनुबंध-8 के रूप में संलग्न किया जाना है | हां/नहीं |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | कार्रवाई: अतिरिक्त जांच सूची संलग्न की जाएगी: निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार | की गई कार्रवाई (हां/नहीं) |
| 1 | अनुबंध -9 के रूप में संलग्न किया जाना है | हां/नहीं |

(लाख रुपये में)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | ब्याज जमा प्रमाणपत्र (ASCAD) | | | |
| वर्ष | उत्पन्न ब्याज  (रुपये लाख में) | जमा तिथि | कार्रवाई: प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति संलग्न की जाएगी | की गई कार्रवाई (हां/नहीं) |
| 2022-23 |  |  | अनुबंध 10 | हां/नहीं |
| 2021-22 |  |  | अनुबंध 11 | हा/ नहीं |
| 2020-21 |  |  | अनुबंध 12 | हां/नहीं |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | एसएनए स्पर्श खाता विवरण | | |
| साझाकरण पैटर्न | आवश्यक विवरण | कार्रवाई: बैंक विवरण की स्कैन कॉपी की स्थिति संलग्न की जाएगी | की गई कार्रवाई (हां/नहीं) |
| 60:40 | खाता नाम:-  खाता नंबर  आईएफएससी कोड:-  बैंक का नाम | अनुबंध 13 | हां/नहीं |
| 50:50 | खाता नाम:-  खाता नंबर  आईएफएससी कोड:-  बैंक का नाम | अनुबंध 14 | हां/नहीं |
| 100% | खाता नाम:-  खाता नंबर  आईएफएससी कोड:-  बैंक का नाम | अनुबंध 15 | हां/नहीं |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | वर्तमान आवश्यकता और पिछले वर्ष की उपलब्धियों के लिए विस्तृत कार्रवाई विवरण संलग्न किया जाना चाहिए | की गई कार्रवाई (हां/नहीं) |
| 1 | अनुबंध-21 | हां/नहीं |

11.कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

अनुबंध 22 के रूप में संलग्न

| वर्ष 2023-24 के लिए ASCAD के अंतर्गत कार्य योजना प्रस्ताव का टैम्पलेट (लाख रुपये में)  अन्य राज्यों के लिए 60:40, उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | मद | चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य योजना | | | | | | |
| आवश्यकता (संख्या) | इकाई लागत | कुल आवश्यक राशि | केंद्रीय शेयर | राज्य का हिस्सा | कार्यकलाप के लिए समयसीमा | आवश्यकता का औचित्य |
| 1 | वैक्सीन खुराकों की खरीद |  |  |  |  |  |  | पशुधन आबादी को टीकाकरण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा |
|  | टीकाकरण से पहले डिवार्मिंग योजना |  |  |  |  |  |  |  |
|  | टीकाकरण से पहले बड़े पशुओं के लिए आवश्यक खुराक की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
|  | टीकाकरण से पहले छोटे पशुओं के लिए आवश्यक खुराक की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | पशुधन वैक्सीन खुराक की खरीद |  |  |  |  |  |  |  |
|  | एच एस |  |  |  |  |  |  |  |
|  | बीक्यू |  |  |  |  |  |  |  |
|  | बकरी चेचक |  |  |  |  |  |  |  |
|  | एलएसडी |  |  |  |  |  |  |  |
|  | एंटरोटॉक्सिमिया |  |  |  |  |  |  |  |
|  | थेलेरिया |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नीली जिह्वा  (Blue Tongue) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | टीनिया सोलियम/सिस्टीसर्कोसिस |  |  |  |  |  |  |  |
|  | भेड़ चेचक |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अन्य |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | जूनोटिक रोग वैक्सीन खुराक की खरीद |  |  |  |  |  |  |  |
|  | एंथ्रैक्स |  |  |  |  |  |  |  |
|  | रेबीज़ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अन्य |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | पोल्ट्री वैक्सीन खुराक की खरीद |  |  |  |  |  |  |  |
|  | आरडी एफ1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | आरडी आर2बी |  |  |  |  |  |  |  |
|  | फाउल पॉक्स |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. iV | बत्तख प्लेग |  |  |  |  |  |  |  |
| V | आईबीडी |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi | बत्तख पाश्चरेला (pasteurella) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vii | मारेक रोग |  |  |  |  |  |  |  |
| Viii | न्यू कैसल |  |  |  |  |  |  |  |
| iX | बत्तख हैजा |  |  |  |  |  |  |  |
| X | अन्य |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | पशुधन टीकाकरण के लिए सहायक उपकरणों की खरीद अर्थात… ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | पोल्ट्री टीकाकरण के लिए  सहायक उपकरणों की खरीद |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | रोग निदान प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण (डीडीएलएस) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | परिवर्तन/नवीनीकरण/संशोधन |  |  |  |  |  |  |  |
|  | उपकरण का विवरण |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कांच के बर्तन, अभिकर्मकों, निदान किट और अन्य आवश्यक सामग्री आदि पर आवर्ती |  |  |  |  |  |  |  |
|  | रोग रिपोर्टिंग प्रणाली |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | जैविक उत्पादन इकाइयों को सुदृढ़ बनाना |  |  |  |  |  |  |  |
|  | परिवर्तन/नवीनीकरण/संशोधन |  |  |  |  |  |  |  |
|  | उपकरण का विवरण |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कांच के बर्तन, अभिकर्मकों, निदान किटों और अन्य आवश्यक सामग्रियों आदि पर आवर्ती |  |  |  |  |  |  |  |
|  | रोग रिपोर्टिंग प्रणाली |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | आकस्मिक एवं विदेशी रोगों का नियंत्रण |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | महत्वपूर्ण पशुधन एवं पोल्ट्री रोगों की निगरानी एवं मॉनीटरिंग |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
|  | सकल योग |  |  |  |  |  |  |  |
|  | सभी राज्यों के लिए केंद्रीय हिस्से से 100% सहायता | | | | | | | |
| 1 | अनुसंधान एवं नवाचार, प्रशिक्षण, प्रचार एवं जागरूकता (100%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पशु चिकित्सकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पैरा पशु चिकित्सकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
|  | सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की संख्या |  |  |  |  |  |  |  |
|  | राज्य स्तरीय जागरूकता शिविर / कार्यशाला / सेमिनार |  |  |  |  |  |  |  |
|  | जिला स्तरीय जागरूकता शिविर |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ब्लॉक स्तरीय जागरूकता शिविर |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अन्य |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |
|  | सकल योग |  |  |  |  |  |  |  |
|  | केंद्रीय हिस्से और राज्य हिस्से से 50:50 सहायता | | | | | | | |
| 1 | किसान को मुआवजा भुगतान |  |  |  |  |  |  |  |
|  | एएसएफ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग्लैंडर्स |  |  |  |  |  |  |  |
|  | सकल योग |  |  |  |  |  |  |  |

## अनुबंध 12: एमवीयू अनुबंध राज्य प्रस्ताव प्रारूप

**वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ESVHD-MVU के अंतर्गत AAP प्रस्तुत करने का प्रारूप**

1. **राज्य का नाम:-**
2. **नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण**

**नाम: -**

**पदनाम: -**

**सम्पर्क विवरण: -**

**(लाख रुपये में)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना** | | |
| परियोजना लागत | केंद्रीय हिस्सा + राज्य हिस्सा | अपेक्षित कार्रवाई | की गई कार्रवाई |
| रुपये …………………. | रु.………………+ रु.………………. | प्रस्ताव अनुबंध 1 के रूप में संलग्न किया जाना है | हां /नहीं |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **पिछले दो वर्षों का उपयोगिता प्रमाणपत्र (ESVHD-MVU)** | | | | | |
| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **जारी निधि** | **उपयोग की गई निधि** | **यूएसबी** | **कार्रवाई: यू.सी. की प्रतियां संलग्न की जाएं (जी.एफ.आर. नियम के अनुसार)** | **की गई कार्रवाई (हां/नहीं)** |
| **1** | **2022-23** |  |  |  | **अनुबंध 2** | हां/नहीं |
| **2** | **2021-22** |  |  |  | **अनुबंध 3** | हां /नहीं |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **(ESVHD-MVU) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (P&FPR)** | | |
| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **कार्रवाई: वास्तविक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न की जाएंगी**  **(मदवार निधि, लक्ष्य और उपलब्धियां)** | **की गई कार्रवाई (हां/नहीं)** |
| **1** | **2022-23** | **अनुबंध 4** | हां /नहीं |
| **2** | **2021-22** | **अनुबंध 5** | हां /नहीं |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.** | **कार्रवाई: शपथ-पत्र निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार संलग्न किया जाना है** | **की गई कार्रवाई (हां/नहीं)** |
| 1 | अनुबंध-6 के रूप में संलग्न किया जाना है | हां /नहीं |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.** | **कार्रवाई: अतिरिक्त जांच सूची संलग्न की जाएगी: निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार** | **की गई कार्रवाई (हां/नहीं)** |
| 1 | अनुबंध-7 के रूप में संलग्न किया जाना है | हां /नहीं |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **ब्याज जमा प्रमाणपत्र (ESVHD-MVU)** | | | |
| **वर्ष** | **उत्पन्न ब्याज**  **(लाख रुपये में)** | **जमा तिथि** | **कार्रवाई: प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति संलग्न की जाएगी** | **की गई कार्रवाई (हां/नहीं)** |
| **2022-23** |  |  | **अनुबंध 8** | हां/नहीं |
| **2021-22** |  |  | **अनुबंध 9** | हां/नहीं |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **(SNA SPAESH) खाता विवरण** | | |
| **साझाकरण पैटर्न** | **विवरण अपेक्षित** | **कार्रवाई: बैंक विवरण की स्कैन कॉपी की स्थिति संलग्न की जाएगी** | **की गई कार्रवाई (हां/नहीं)** |
| **60:40, 90:10, 100 %** | खाता नाम:-  खाता नंबर  आईएफएससी कोड:-  बैंक का नाम | **अनुबंध 10** | हां/नहीं |
|  | **ख. टीएसए (TSA) (विवरण** | | |
| **साझाकरण पैटर्न** | **विवरण की आवश्यकता है** | **कार्रवाई: बैंक विवरण की स्कैन कॉपी की स्थिति संलग्न की जाएगी** | **की गई कार्रवाई (हां/नहीं)** |
| **एमवीयू के मामले में 100% गैर-आवर्ती लागत** | खाता नाम:-  खाता नंबर  आईएफएससी कोड:-  बैंक का नाम | **अनुबंध 11** | हां/नहीं |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.** | **वर्तमान आवश्यकता और पिछले वर्ष की उपलब्धियों के लिए विस्तृत कार्रवाई विवरण संलग्न किया जाना चाहिए** | **की गई कार्रवाई (हां/नहीं)** |
| 1 | अनुबंध 17 | हां /नहीं |

**11.एमवीयू की स्थिति के लिए चेकलिस्ट (अनुबंध-18 के रूप में संलग्न किया जाना है)**

| **क्र.सं.** | **विवरण** | **प्रगति** |
| --- | --- | --- |
| 1. | संस्वीकृत एमवीयू की संख्या |  |
| 2. | राज्य ने एमवीयू खरीदे हैं या नहीं |  |
| 3. | क्या ब्रांडिंग डी.ओ. के अनुसार पूरी हुई है या नहीं |  |
| 4 | कॉल सेंटर क्रियाशील है या नहीं |  |
| 5 | 1962 कार्यात्मक है या नहीं? |  |
| 6 | क्या राज्य पीपीटी मोड के लिए एमवीयू का संचालन करने जा रहा है या राज्य विभाग द्वारा स्वयं प्रबंधित किया जाएगा |  |
| 7 | सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम |  |
| 8 | सेवा प्रदाता: केवल जनशक्ति या सम्पूर्ण संचालन के लिए आउटसोर्सिंग करता है |  |
| 9 | राज्य मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है या नहीं |  |
| 10 | राज्य द्वारा पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का पैटर्न:  फ़ोन कॉल पर/निर्धारित मार्गों पर/शिविर एवं विस्तार सेवाओं पर |  |

**13. एमवीयू की वार्षिक प्रगति (अनुबंध-19 के रूप में संलग्न)**

| **क्र.सं.** | **मद** | **संचयी**  **(वर्ष 2022-23 के लिए)** | **टिप्पणी** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | कार्य कर रहे में एमवीयू की संख्या |  |  |
| **2** | कॉल सेंटर की स्थापना |  |  |
| **3** | कॉल सेंटर में जनशक्ति की आवश्यकता |  |  |
| **4** | कॉल सेंटर पर जनशक्ति की उपलब्धता |  |  |
| **5** | विभाग द्वारा तैनात जनशक्ति |  |  |
| **6** | आउटसोर्स की गई जनशक्ति |  |  |
| **7** | पशु चिकित्सकों की कुल संख्या |  |  |
| **8** | पैरा पशुचिकित्सकों की कुल संख्या |  |  |
| **9** | ड्राइवर सह अटेंडेंट की संख्या |  |  |
| **10** | राज्य द्वारा पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का पैटर्न:  फ़ोन कॉल पर/निर्धारित मार्गों पर/शिविर एवं विस्तार सेवाएं |  |  |
| **11** | कॉल सेंटर की शिफ्ट का समय और अवधि |  |  |
| **12** | अधिकारियों द्वारा ली गई छुट्टियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था |  |  |
| **13** | प्राप्त इनकमिंग कॉलों की संख्या |  |  |
| **14** | सेवाओं के विस्तार हेतु की गई कॉलों की संख्या |  |  |
| **14.1** | फ़ोन पर सलाह |  |  |
| **14.2** | नजदीकी अस्पताल या डिस्पेंसरी या एआई तकनीशियन आदि के रेफर करना |  |  |
| **14.3** | कॉल पर प्रदान की गई सलाहकार सेवाओं की संख्या (कुल) |  |  |
| **14.4** | अंतिम बार देखे गए मामले से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई (Follow up) |  |  |
| **15** | एमवीयू द्वारा घर-घर जाकर देखे गए कुल मामले |  |  |
| **16** | एमवीयू द्वारा कवर किए गए कुल किलोमीटर |  |  |
| **17** | सेवा प्रदान किए गए पशुपालकों की संख्या |  |  |
| **17.1** | फ़ोन कॉल पर |  |  |
| **17.2** | द्वार पर |  |  |
| **18** | सेवाओं के वितरण के लिए किसानों से प्राप्त संतोषजनक फीडबैक की संख्या |  |  |
| **19** | सेवाओं की डिलीवरी के लिए किसानों से असंतोषजनक फीडबैक की संख्या |  |  |
| **20** | समय पर सर्विस किए गए वाहनों की संख्या |  |  |
| **21** | सर्विस के लिए लंबित वाहनों की संख्या |  |  |
| **22** | भारत पशुधन एनडीएलएम पोर्टल पर डेटा का पंजीकरण (हां/नहीं) |  |  |
| **23** | टोल-फ्री सेवा बिल |  |  |
| **24** | औषधि पर कार्मिक (Progressive) व्यय |  |  |
| **25** | ईंधन और सेवा पर कार्मिक (Progressive) व्यय |  |  |
| **26** | की गई शल्य चिकित्सा से संबंधित मामलों की संख्या |  |  |
| **27** | देखे गए स्त्री रोग संबंधी मामलों की संख्या |  |  |
| **28** | प्रयोगशाला परीक्षण हेतु लिए गए नमूनों की संख्या |  |  |
| **29** | किसानों को वितरित प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों की संख्या |  |  |
| **30** | किसी भी रोग का प्रकोप |  |  |
| **31** | प्रकोप के लिए उठाए गए कदम |  |  |
| **32** | प्रकोप की रिपोर्टिंग |  |  |
| **33** | एमवीयू के नियमित कीटाणुशोधन की स्थिति (हां/नहीं) |  |  |
| **34** | कोई और |  |  |

**उपयोगकर्ता का आधार नं.**

**कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी (सफलता की कहानियाँ (लेख या वीडियो क्लिप), ग्राम पंचायत स्तर / ब्लॉक स्तर / जिला स्तर / राज्य स्तर पर कोई मान्यता / प्रशंसा)**

(अनुबंध 20 के रूप में संलग्न किया जाए)

| **वर्ष 2023-24 के लिए (ESVHD-MVU) के अंतर्गत कार्य योजना प्रस्ताव का टैम्पलेट (लाख रुपये में)**  **सामान्य वर्ग के लिए 60:40, उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **क्र.सं.** | **मद** | **अंतिम रिलीज का विवरण** | | | | | | | | **चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य योजना** | | | | | | | |
| **प्राप्त केंद्रीय हिस्सा** | **संगत राज्य का हिस्सा** | **वास्तविक लक्ष्य** | **वास्तविक उपलब्धि** | **केंद्रीय हिस्से से उपयोग की गई राशि** | **राज्य के हिस्से से उपयोग की गई राशि** | **राज्य के पास अव्ययित शेष- (उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)** | **यदि वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों से कोई विचलन हो तो उसका औचित्य बताएं** | **आवश्यकता (संख्या)** | **इकाई लागत** | **अपेक्षित राशि अपेक्षित** | **केंद्रीय हिस्सा** | **राज्य का हिस्सा** | **कार्यकलाप के लिए समयसीमा** | **आवश्यकता का औचित्य** |
| **1** | **एमवीयू चलाने के लिए आवर्ती व्यय** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **पशुचिकित्सकों की आउटसोर्सिंग** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **पैरा-पशु चिकित्सकों की आउटसोर्सिंग** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ड्राइवर-सह-अटेंडेंट की आउटसोर्सिंग** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **दवाइयों, सर्जिकल सामग्री आदि की खरीद।** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **रखरखाव एवं ईंधन (पेट्रोल / डीजल / तेल / ल्यूब्रिक्रेंट आदि)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कुल |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **राज्य स्तर पर कॉल सेंटर चलाने के लिए आवर्ती व्यय** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **पशुचिकित्साकों की आउटसोर्सिंग** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **कॉल अधिकारियों की आउटसोर्सिंग** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. चतु |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **कुल** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **कॉल सेंटर के लिए कार्यालय व्यय** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **कुल** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **निविदा लागत (Tendered Cost) (यदि राज्य पीपीपी मोड को अपना रहा है, तो लागत का विस्तृत ब्यौरा)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **कुल** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## अनुबंध 13: वैक्सीन गुणवत्ता परीक्षण की एसओपी (SOP)

1. **विभाग की ओर से प्रोग्राम लॉजिस्टिक एजेंसी (PLA) की भूमिका**

पीएलए (PLA) औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण से वैध लाइसेंस प्राप्त पैनलबद्ध वैक्सीन निर्माताओं से एफएमडी टीके प्राप्त करता है और जिसमें टीके भारतीय फार्माकोपिया के वर्तमान संस्करण में निर्दिष्ट गुणवत्ता आवश्यकताओं और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) में तकनीकी विनिर्देशों में उल्लिखित मानकों को पूरा करते हों। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के आज तक संशोधित सभी प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होंगे ।

1. **निर्माता की जिम्मेदारी**
2. यदि ड्रग लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन किया गया है, तो खरीदार (यानी PLA) और विभाग को तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए। लाइसेंसिंग प्राधिकरण को आवेदन की एक प्रति एक प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि नवीनीकरण आवेदन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अनुसार समय सीमा के भीतर किया गया था, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है, और इसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा हटाया नहीं गया है।
3. निर्माताओं को वैक्सीन के नमूनों के साथ सीओए (COA) जीवाणुरहितता सुरक्षा और क्षमता के परिणामों का विवरण) प्रस्तुत करना चाहिए। सीओए का प्रारूप संबंधित अनुबंध और परिशिष्ट में संलग्न है।
4. कोल्ड चेन रखरखाव का आकलन करने के लिए निर्माता द्वारा प्रत्येक बॉक्स में एक तापमान निगरानी कार्ड प्रदान किया जाएगा।
5. पशु शक्ति (Potency)) परीक्षण से सीरम नमूने (2.0 मिली/पशु) भी वैक्सीन के नमूनों और सीओए के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। सीओए (COA) से संबंधित मामलों पर यदि आवश्यक हो, तो केवल निर्माताओं के तकनीकी व्यक्तियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
6. यदि आवश्यक हो तो टीके से संबंधित कोई भी जानकारी खरीदार/डीएएचडी को उपलब्ध कराई जाएगी।
7. **कार्यक्रम लॉजिस्टिक्स एजेंसी और आईसीएआर-आईवीआरआई मानकीकरण प्रभाग की जिम्मेदारी:**
   1. निर्माताओं द्वारा उत्पादित एफएमडी वैक्सीन के प्रत्येक बैच की दस शीशियों को डीएएचडी/प्रोग्राम लॉजिस्टिक्स एजेंसी द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रत्येक बैच के पूरे लॉट में से यादृच्छिक आधार पर एकत्र किया जाएगा। वैक्सीन निर्माता वैक्सीन के नमूनों के ऐसे संग्रह की सुविधा प्रदान करेगा और परिवहन के लिए कोल्ड चेन का रखरखाव सुनिश्चित करेगा। एक अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सभी बैचों के नमूने निर्दिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला में जमा किए जाएंगे।
   2. सैंपल की शीशियों को कोड किया जाएगा, और हर पांच बैच में से किसी एक को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा (जैविक मानकीकरण प्रभाग, आईवीआरआई, इज्जतनगर के निर्देशों के अनुसार ) और एफएमडी वैक्सीन के परीक्षण के लिए डीएएचडी द्वारा नामित किसी भी परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाएगा (बिना किसी वरीयता के)। इसके अलावा, सैंपल की गई 10 शीशियों में से केवल 7 शीशियों को क्यूसी/वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा, और 3 शीशियों को मानकीकरण प्रभाग, आईसीएआर-आईवीआरआई, इज्जतनगर द्वारा रखा जाएगा ।
   3. पारित (Passed) QC परीक्षण रिपोर्ट और DAHD द्वारा जारी डिलीवरी आदेश के आधार पर, PLA द्वारा निर्माता को खरीद आदेश/आपूर्ति आदेश दिया जाएगा।
   4. भंडारण तापमान; कोल्ड चेन रखरखाव: वैक्सीन को +2°C और +8°C के बीच संग्रहीत और/या परिवहन किया जाना चाहिए और इसे जमाया नहीं जाना चाहिए। वैक्सीन आपूर्ति का कोल्ड चेन रखरखाव विक्रेता द्वारा निर्दिष्ट गंतव्य तक सुनिश्चित किया जाएगा। जैविक मानकीकरण विभाग, IVRI, इज़्ज़तनगर और निर्दिष्ट प्रयोगशालाएँ पुष्टि करेंगी कि वैक्सीन की शीशियाँ आगमन पर उचित कोल्ड चेन रखरखाव के साथ प्राप्त हुई हैं या नहीं।
   5. पैकेज खुराक का आकार: तरल टीका 100 मिलीलीटर की बोतल में पैक किया जाना चाहिए (अर्थात, बड़े पशुओं के लिए 2 मिलीलीटर की 50 खुराकें या छोटे पशुओं के लिए 1 मिलीलीटर की 100 खुराकें)।
8. **नामित परीक्षण प्रयोगशालाओं की भूमिका**
9. परीक्षण के लिए प्रत्येक नामित परीक्षण प्रयोगशाला एफएमडी वैक्सीन का परीक्षण निम्नानुसार करेगी:
10. **जीवाणुरहितता: टीके के प्रत्येक बैच का** जीवाणुरहितता परीक्षण भारतीय फार्माकोपिया (IP) के अनुसार किया जाएगा।
11. **सुरक्षा: टीकों के प्रत्येक बैच का** सुरक्षा परीक्षण भारतीय फार्माकोपिया (Vet) के अनुसार किया जाएगा।
12. **क्षमता: एफएमडी के लिए एनएडीसीपी के तहत एफएमडी वैक्सीन की क्षमता का परीक्षण करने के लिए** इन विट्रो सीरोटाइप-आधारित वैकल्पिक परख वीएनटी (Cassayvnt) का उपयोग किया जाएगा। संबंधित नामित परीक्षण प्रयोगशालाओं के कर्मचारी पशुओं का टीकाकरण करेंगे और टीकाकरण के 0 और 28 दिन बाद टीकाकरण से पहले और बाद के सीरम के नमूने एकत्र करेंगे।
13. टीका निर्माता, पशुओं में प्रयोग के लिए राज्यों को टीके की आपूर्ति करने से पहले परीक्षण और परिणामों के विवरण के साथ **मुक्ति का प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करेंगे।
14. टीके द्वारा आरएफपी (RFP) की तकनीकी विशिष्टताओं में उल्लिखित SN50 एंटीबॉडी टाइटर प्रेरित होना चाहिए। यदि गोपशुओं में एंटीबॉडी टाइटर का ज्यामितीय **‘**मीन’ (Mean)**,** पास स्तर से कम नहीं है, तो टीका परीक्षण का अनुपालन करता है।

**ग.** परीक्षण के परिणाम को नामित परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा ICAR-IVRI (जैविक मानकीकरण प्रभाग) को सूचित किया जाएगा। वैक्सीन अनुपालन योग्य है या नहीं, इसकी जानकारी विभाग/पीएलए को दी जाएगी, जिसकी एक प्रति संबंधित निर्माता को भेजी जाएगी।

वैक्सीन निर्माताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके द्वारा आपूर्ति की गई वैक्सीन की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। यदि वैक्सीन निर्माताओं द्वारा निर्मित कोई भी वैक्सीन बैच सिद्ध स्थिरता के साथ (यानी, जिनके पिछले तीन लगातार एफएमडी वैक्सीन बैच डीएएचडी मानदंडों का अनुपालन करते हैं) मानक को पूरा करने में विफल रहता है, तो परीक्षण प्रयोगशाला टीकाकरण शुरू करते हुए दूसरे बैच (नमूना किए गए पांच बैचों में से) का परीक्षण करेगी। यदि बैच परीक्षण पास कर लेता है, तो शेष सभी चार बैचों को मंजूरी दे दी जाएगी। हालांकि, यदि दूसरा बैच विफल रहता है, तो पूरे पांच बैच खारिज कर दिए जाएंगे।

उपरोक्त, जिसमें वैक्सीन गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित तंत्र/एसओपी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, का पालन किया जाएगा। प्रयोगशाला वीएनटी (VNT) परीक्षण के लिए एसओपी (SOP) अलग हैं। इस तंत्र/एसओपी को व्यावहारिक अनुप्रयोग के आधार पर और एफएमडी वैक्सीन गुणवत्ता नियंत्रण के निरंतर सुधार के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

**5.परिशिष्ट – I**

A document with text and numbers

Description automatically generated

**6. परिशिष्ट – II**

**A document with numbers and text

Description automatically generated**

**7.परिशिष्ट – III**

**A blank form with a number of patients

Description automatically generated with medium confidence**

## अनुबंध-14: झुंड (Flock) पंजीकरण से संबंधित एसओपी (SOP)

भारत पशुधन पोर्टल में छोटे पशुओं (भेड़, बकरी, सुअर) के झुंड पंजीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

**क. मालिक का पंजीकरण (मालिक पंजीकरण के लिए मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा)**

1. टीका लगाने वाला, भारत पशुधन पोर्टल में लॉग इन करता है और उसके लिए तैयार किए गए टीकाकरण अभियान का चयन करता है।
2. टीका लगाने वाला, पशु के मालिक का विवरण (यानी, नाम, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर) भरता है और “आगे बढ़ें” पर क्लिक करता है।
3. मालिक के विवरण में भरे गए मालिक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
4. मालिक टीका लगाने वाले के साथ ओटीपी को साझा करेगा।
5. टीका लगाने वाला आवश्यक फ़ील्ड में ओटीपी भरेगा और “सबमिट” पर क्लिक करेगा।
6. मालिक के पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

**ख. झुंड का पंजीकरण**

* वर्तमान में, मालिक के अंतर्गत “पशु जोड़ें” का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक पशु को जोड़ा जाता है।
* झुंड पंजीकरण झुंड को जोड़ने का एक वैकल्पिक प्रवाह होगा।
* एक प्रजाति के लिए एक झुंड जोड़ा जाएगा।
* झुंड की पहचान के लिए एक टैग आईडी होगी।
* छोटे पशुओं के लिए, एक नया प्रावधान, “झुंड जोड़ें” शामिल किया गया है। झुंड जोड़ें में निम्नलिखित विवरण शामिल किया जाता है:

1. **प्रजाति का नाम (ड्रॉपडाउन)** - इस चरण में, टीका लगाने वाला मालिक के छोटे पशुओं के झुंड को पंजीकृत करेगा। वह पशु की प्रजाति (भेड़/बकरी/सुअर) का चयन करेगा।
2. किसी भी संख्या/प्रकार की प्रजाति को जोड़ने के लिए पंक्तियाँ जोड़ने का प्रावधान उपलब्ध है।
3. यदि आवश्यक हो, तो उप प्रजाति/नस्ल का नाम जोड़ा जा सकता है
4. झुंड (Flock)/पशुयूथ (Herd) में पशुओं की कुल संख्या
5. वयस्क/प्रजनक नर (संख्या)
6. प्रजनक मादा (संख्या)
7. मेमने/बच्चे/सूअर के बच्चे- 3 महीने से कम उम्र के पशु (संख्या)
8. उत्पादक (Grower) पशु

ii. उपयोगकर्ता द्वारा सभी डेटा में बदलाव (edit) किया जा सकता है

iii. कम से कम एक प्रजनक नर (मेढ़ा/हिरन/सूअर) को छोटे पशु ईयर टैग के साथ वास्तविक रूप से ईयर-टैग किया जाएगा (झुंड का प्रमुख प्रतिनिधि) और ईयर टैग संख्या पोर्टल में दर्ज की जाएगी।

iv. यदि यह एक छोटा झुंड (<15 पशु) है और कोई प्रजनन करने वाला मेढ़ा/हिरन/सूअर मौजूद नहीं है, तो किसी भी पशु को वास्तविक रूप से टैग नहीं किया जाएगा, लेकिन एक प्रतिनिधि ईयर टैग सौंपा जाएगा और इसकी संख्या दर्ज की जाएगी और टैग को मालिक के पास रखा जा सकता है।

1. टीका लगाने वाला, सबमिट पर क्लिक करेगा और उस झुंड के लिए एक विशिष्ट 'झुंड पहचान संख्या' सृजित होगी।
2. मालिक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
3. मालिक ओटीपी को टीका लगाने वाले के साथ साझा करेगा।
4. टीका लगाने वाला आवश्यक फ़ील्ड में ओटीपी भरेगा और "सबमिट" पर क्लिक करेगा।
5. झुंड पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई।
6. यदि ईयर टैग बदल दिया गया है/खो गया है, तो ईयर टैग कार्यक्षमता (Functionality) का उपयोग किया जाएगा।

**ग. टीकाकरण रिकॉर्ड करना**

1. टीकाकरण करते समय उपयोगकर्ता झुंड की आईडी या पशु की टैग आईडी से खोजने में सक्षम होगा।
2. टीकाकरण से पहले, उपयोगकर्ता झुंड के विवरण को संशोधित कर सकेगा जैसे कि विभिन्न आयु समूहों में पशुओं की संख्या।
3. टीका लगाने वाला व्यक्ति सभी पात्र पशुओं (3 महीने से अधिक आयु वाले) को निर्धारित खुराक और संबंधित टीके के रूट (route) के अनुसार टीका लगाएगा।
4. टीका लगाने वाले व्यक्ति द्वारा विभिन्न आयु समूहों और विभिन्न लिंग समूहों (सेक्स) में टीका लगाए गए पशुओं की संख्या भरी जाएगी।
5. सिस्टम टीका लगाए गए पशुओं की संख्या को मान्य करेगा।
6. यदि टीकाकरण किए गए पशुओं की संख्या झुंड में पंजीकृत पशुओं की संख्या से अधिक है, तो सिस्टम, उपयोगकर्ता को इसमें त्रुटि बताएगा।
7. झुंड के साथ मौजूद मालिक/परिवार के सदस्य की एक तस्वीर खींची जाएगी और पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
8. टीका लगाने वाला व्यक्ति “सबमिट” पर क्लिक करेगा और टीकाकरण रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा।
9. टैग संख्या को केवल पोर्टल पर डेटा के उद्देश्य से जोड़ा जाएगा और यह झुंड (पशुओं की कुल संख्या) की संपूर्ण टीकाकरण स्थिति को दर्शाएगा।

**पशु चिकित्सक/पैरा-पशु चिकित्सक/पशु चिकित्सा सेवा प्रदाता आदि के अगले टीकाकरण/दौरे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।**

1. झुंड में पशुओं की संख्या एक परिवर्तनीय डेटा है और हर बार जब कोई टीका लगाने वाला या अन्य सेवा प्रदाता दौरा करेगा, तो उसे संख्या में संशोधन (edit) करना चाहिए (पुराना डेटा MIS डैशबोर्ड के लिए बैकएंड पर संग्रहीत किया जाएगा)
2. टीका लगाने वाला, 'झुंड पहचान संख्या' का चयन करेगा और संपादित करें (edit) बटन पर क्लिक करेगा।
3. झुंड की आईडी मालिक के नाम या आधार नंबर या मालिक के मोबाइल नंबर से खोजी जा सकती है।
4. झुंड की संरचना में परिवर्तन (विभिन्न आयु समूहों और विभिन्न लिंग समूहों में पशुओं की संख्या) को भरा जाना चाहिए।
5. सभी पात्र पशुओं के टीकाकरण के बाद, टीका लगाए गए पशुओं की संख्या (आयु समूह और लिंग के अनुसार) दर्ज की जानी चाहिए और एक फोटो अपलोड की जाएगी जैसा कि ऊपर चरण ‘ग’ में वर्णित है।

**घ. प्रतिनिधि पशु की बिक्री, वध (Culling) या स्वामित्व परिवर्तन**

**प्रतिनिधि पशु की बिक्री, वध, स्वामित्व परिवर्तन (वास्तविक रूप से ईयर टैग लगाए हुए) की स्थिति में**

1. इन स्थितियों में, टीका लगाने वाले/पशु चिकित्सा सेवा प्रदाता के अगले दौरे के दौरान, किसी अन्य मेढ़े/हिरन/सूअर को वास्तविक रूप से ईयर टैग लगाया जाना चाहिए और टैग संख्या को मौजूदा झुंड की पहचान संख्या के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। पिछले ईयर टैग की संख्या को हटा दिया जाएगा।
2. सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस के लिए जिन पशुओं से रक्त/सीरम एकत्र किया जाता है, उन्हें टैगिंग द्वारा पहचाना जाएगा।

**ड. टीकाकृत पशुओं का सत्यापन**

टीकाकृत पशुओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध रंग, डाई, स्याही, गोबर मिट्टी आदि से रंगकर और ब्रांडिंग करके पहचाना जा सकता है। टीकाकृत पशु को पहचान के लिए रंग/डाई से चिन्हित किया जाएगा। टीकाकृत पशुओं का चिन्हांकन संबंधित राज्य या राज्य के क्षेत्र में प्रचलित प्रथा के अनुसार किया जा सकता है और चिन्हांकन के साथ एक समूह चित्र पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

1. सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस के लिए जिन पशुओं से रक्त/सीरम एकत्र किया जाता है, उन्हें टैगिंग द्वारा पहचाना जाएगा, जहां वास्तविक ईयर टैगिंग के बजाय टैग नंबर दिया जाएगा और मालिक के पास रखा जाएगा और नंबर एसएस-एसएम (SS-SM) मॉड्यूल पर अपलोड किया जाएगा।
2. इसी तरह, एमवीयू द्वारा प्रत्येक पशु को प्रदान किए गए उपचार के लिए, रिकॉर्ड के उद्देश्य से पशु को टैग नंबर दिया जा सकता है।
3. इसी तरह, किसी भी पशु को प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए टैग नंबर दिया जाएगा।

## अनुबंध-15:  एफएमडी नेटवर्क प्रयोगशालाओं की सूची

| **क्र. सं.** | **केंद्र का नाम** | **स्थान** | **प्रधान जांचकर्ता** | **सह-प्रधान जांचकर्ता** | **कार्यालय का ईमेल** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | अगरतला | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  पशु संसाधन विकास  विभाग**,**  राज्य रोग जांच प्रयोगशाला**,**  अभयनगर**,** अगरतला**,**  त्रिपुरा -799005 | डॉ. ज्योतिर्मय रॉय  उप निदेशक jyotibul66@gmail.com  9436124525 | डॉ. बीना सैकियाbinasaikia17@g mail.com 8731069076 | ardd.tripura@gmail.co m  sdil.ardd@gmail.com |
| 2 | अहमदाबाद | उप निदेशक का पशुपालन कार्यालय, एफएमडी सहयोग केंद्र,  प्रथम तल, "ए"  विंग,  पशुपालन शंकुल मकरबा,  अहमदाबाद गुजरात 380051 | डॉ. अमित कनानी  उप निदेशक  amit\_kanani@hotmail. com  9824021874 | डॉ. वर्तिका चंद्र  chandra.vartika @gmail.com  9727784001 | dy-fmd-  ahd@gujarat.gov.in |
| 3 | आइजोल | प्रभारी अधिकारी,  एफएमडी सहयोग केंद्र,  रोग जांच अधिकारी,  पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, खटला, आइजोल  मिजोरम 796001 | डॉ. एस्टर लालज़ोलियानाईesralte0185@gmail.co m | डॉ. ज़ोहलिमा  drzohlima@gmai l.com  7005148162 | directorvetymiz@gmail. com mizahvety@gmail.com  ahlhdcmiz@gmail.c**o**m |
| 4 | अयोध्या | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग  पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय  आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय**,**  कुमारगंज**,** अयोध्या  उत्तर प्रदेश 224 229 | डॉ. आर. के. जोशी  प्रो. एवं अध्यक्ष  पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभागrkjoshivet26@gmail.co m  9554114826 | डॉ. नमिता जोशी  प्रो. एवं अध्यक्ष  वीपीएच विभाग  डॉ.विभा यादव  सहायक प्रो.  पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग |  |
| 5 | बेंगलुरु | प्रभारी अधिकारी,  एफएमडी क्षेत्रीय केंद्र,  पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकीय संस्थान**,** हेब्बल**,**  बेंगलुरु  कर्नाटक 560024 | डॉ. रविन्द्र हेगड़ेravihegde63@gmail.co  m  9448358705 | डॉ. धरनेशा एनके  drdharanivet@g mail.com Mob:  8073891542 | fmdrciahbng@gmail.com  diriahvb@gmail.com |
| 6 | भोपाल | प्रधान अन्वेषक**,**  एफएमडी क्षेत्रीय केंद्र**,**  रोग जांच**,** राज्य रोग जांच प्रयोगशाला**,** पशु चिकित्सा अस्पताल परिसर**,** जहांगीराबाद**,** जेल रोड**,** भोपाल  मध्य प्रदेश 462008 | डॉ. सुनील परनामdrparnam@gmail.com  9425929096 | डॉ. टी. लोखंडे  drtlokhande@g mail.com 8839841304 | piobhopalunit@gmail**.**com dirveterinary@mp.gov.  in |
| 7 | कटक | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी क्षेत्रीय केंद्र**,**  पशुपालन एवं पशु चिकित्सा  सेवाएं**,** पशु रोग अनुसंधान संस्थान**,** एटी/पीओ - ​​फुलनखरा**,** जिला कटक  ओडिशा754001 | डॉ. मनोज पटनायक  dr.manoj2patho@gma  il.com | डॉ. (श्रीमती) प्रतिमा बेहेरा rina8617@gmail .com  9437827279 | adri.odisha1@gmail.**c**om |
| 8 | गुवाहाटी | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी क्षेत्रीय केंद्र**,**  सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग**,** पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय**,** असम कृषि विश्वविद्यालय**,** खानापारा**,** पोस्ट बॉक्स- 06,  गुवाहाटी  असम**-**781022 | डॉ. आर.के. शर्मा  rajeev.sharma@aau.ac  .in  dr.sharmark@rediffm  ail.com  9435064887 | डॉ. पंकज डेका  pankaj.deka@aa  u.ac.in  drpankajaau@g mail.com 6900627690 | rrcghyfmd@gmail.com |
| 9 | हिसार | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी क्षेत्रीय केंद्र**,**  पशु चिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग**,** सीसीएस**,** हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय**,** हिसार-125001 (हरियाणा) | डॉ. स्वाति दहिया  swatidahiya@luvas.ed  u.in  swatidahiya@yahoo.c  o.in  8607537608 | डॉ. अंशुल लाठरanshul.lather08@gmail.com  9416545290 | fmdhisar@luvas.edu.in |
| 10 | हैदराबाद | उप निदेशक (एएच) एवं प्रभारी अधिकारी  एफएमडी सहयोग केंद्र  रोग जांच  पशु चिकित्सा जैविक एवं अनुसंधान  संस्थान**,** शांतिनगर**,** हैदराबाद  तेलंगाना 500028 | डॉ. जी. सुनीता  जेडी**,** वीबीटीएसआरआई | डॉ. के. विजया प्रवीण  9989998025  rvijayapraveen@ gmail.com | fmdvbrihyd@gmail.co  m |
| 11 | इंफाल | प्रभारी अधिकारी  एफएमडी सहयोग केंद्र  रोग जांच प्रयोगशाला**,**  पशु चिकित्सा एवं पशु सेवा निदेशालय**,** इम्फाल  मणिपुर 795001 | डॉ. साबित्री मैबामmaibamsabitri@gmail. com 9774014506 | डॉ. सीएच.अमिता देवीmuhindrovet@g mail.com 8575465386 |  |
| 12 | ईटानगर | प्रभारी अधिकारी  एफएमडी सहयोग केंद्र  रोग जांच प्रयोगशाला**,**  पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग**,** निरजुली**,** ईटानगर**,**  अरुणाचल प्रदेश 791111 | डॉ. बादल विश्वकर्मा | डॉ. जीबी गरम  niyango@gmail.c  om  8471812963 | dioarunachalpradesh@gmail.com |
| 13 | जयपुर | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  राज्य रोग निदान केंद्र**,**  पशुपालन विभाग**,**  गोपीनाथ मार्ग  नई कॉलोनी**,** जयपुर  राजस्थान 302001 | डॉ. हरी कृष्ण खत्री  संयुक्त निदेशक  एसडीडीसी**,** जयपुर  मोब. 9414262718 | डॉ. लेनिन भट्ट  leninbhatt@gma  il.com   9829791073 | ddpathologistraj@gmail.com |
| 14 | जालंधर | संयुक्त निदेशक**,** पशु पालन एवं प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र  पशु स्वास्थ्य संस्थान**,**  लाडोवाली रोड**,**  जालंधर पंजाब 144001 | डॉ. मोहिंदर पाल  channidr@gmail.com 9780263576 | डॉ. गौरव शर्माsaankhyan@gmail.com  9988432267 | nrddl2001@gmail.com |
| 15 | जम्मू | महामारी विज्ञानी**, ,** प्रभारी अधिकारी  एफएमडी सहयोग केंद्र  तालाब-तिल्लो**,** जम्मू  जम्मू और कश्मीर180002 | डॉ. राकेश कुमार शान  9419898342 |  | aicrpjmu@gmail.com |
| 16 | कोहिमा | प्रधान अन्वेषक**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  पशु चिकित्सा एवं पशुपालन निदेशालय**,**  कोहिमा  नागालैंड 797001 | डॉ. एस अमानला वालिंग उप निदेशक | डॉ के रेत्सो  Rhetso.k@gmail.  com  9362611395 |  |
| 17 | कोलकाता | संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी  एफएमडी सहयोग केंद्र  पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकीय संस्थान (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण),  37, बेलगाछिया रोड**,** कोलकाता**,**  पश्चिम बंगाल700037 | डॉ. अनिमेष सिकदर, kolkataiahvb@gmail.co  m | डॉ. रितेश बिस्वास, ritesh.vet2010@ gmail.com,  9732723085 | iahvb.kolkata@rediffm ail.com, epidem\_kolkata@rediff mail.com. |
| 18 | मथुरा | प्रभारी अधिकारी  एफएमडी सहयोग केंद्र  महामारी विज्ञान विभाग**,**  पशु चिकित्सा निवारक चिकित्सा**,** उत्तर प्रदेश पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान**,**  मथुरा-281001 (उत्तर प्रदेश) | dratulsaxena@rediffm ail.com | डॉ. अजय प्रताप सिंहdrajay\_vet@yah oo.co.in  9456947463 | duvasudr@gmail.com |
| 19 | मेरठ | प्रभारी अधिकारी  एफएमडी सहयोग केंद्र  कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एसवीबीपीयूएएंडटी**,** मोदीपुरम**,** मेरठ  उत्तर प्रदेश250110 | डॉ. अमित बालियान  एसोसिएट प्रोफेसरbalyan74@gmail.com  9412120813 | डॉ. सुरेन्द्र उपाध्याय  upadhyay.surend ra95@gmail.com  9451916319 |  |
| 20 | राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र**,**  झरनापानी**,** मेदजीफेमा**,** दीमापुर  नागालैंड -797106 | डॉ. एच. लालज़ाम्पुइया  ateahlawndo@gmail.com  l.hlawndo@icar.gov.in  7795760336 |  |  |
| 21 | राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर)**,**  पी.ओ. दिरांग-790101,  पश्चिम कामेंग जिला**,**  अरुणाचल प्रदेश | डॉ. मुख्तार हुसैन  Mokhtar.Hussain@icar  .gov.in  8415011168  hussainmokhtar61@g  mail.com | डॉ. दिनमणि मेधी  Dinamani.Medhi  @icar.gov.in  84150 1226 | yakdirector@gmail.com |
| 22 | पटना | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र,  बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज,  पटना**,**  बिहार-800014 | डॉ. मनोज कुमार  drmanojmicro@rediff mail.com  9430963483 | fmdpatna@gmail .com |  |
| 23 | पोर्ट ब्लेयर | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,** सीआईएआरआई**,**  गराचारामा**,**  पोर्ट ब्लेयर  अंडमान और निकोबार द्वीप समूह-744101 | डॉ. जय सुंदर  jai.sunder@icar.gov.in  jaisunder@rediffmail.c om  Mob: 9434281840 | डॉ. अरुण कुमार डे  arun.de@icar.gov.in  9679515260 |  |
| 24 | पुडुचेरी | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (रिवर)**,**  वझुधवुर रोड**,** कुरुम्बापेट**,** पुडुचेरी- 605 009 | डॉ. हीरक कुमार मुखोपध्याय  mhirak@rediffmail.co m  Mob: 9443034065 | डॉ. वी. एम. विवेक श्रीनिवास  vivekvet24@gmail.com  9742891992 |  |
| 25 | पुणे | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी क्षेत्रीय केंद्र  पशुपालन निदेशालय**,**  रोग जांच अनुभाग**,** औंध**,**  पुणे**,**  महाराष्ट्र-411067 | डॉ. वैशाली वानखेड़े  vaw22007@gmail.com | डॉ. संजय पवार  neovetsp@gmail .com  99679 09084 | fmdrcpune@gmail.co m |
| 26 | रांची | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  पशु चिकित्सा पैथोलॉजी विभाग  रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय  पतराटोली**,** रांची**,** अरसंडे**,**  झारखंड- 834006 | डॉ. एम. के. गुप्ता  madhurendu.gupta@g  mail.com 9431101588 | डॉ. एम. के. तिवारी  drtiwari40@gma  il.com  9430151301  Dr.Ahmed  draahmad786@g mail.com |  |
| 27 | रानीपेट | निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,** पशु चिकित्सा निवारक चिकित्सा संस्थान**,** रानीपेट तमिलनाडु-632402 | डॉ. लैंसी मेमेन | डॉ. एस. शेन्बागामा मोबाइल:  9585686602 | ivpmfmdrcranipet@gm  ail.com  [ivpm.tnvlr1@gmail.com](mailto:ivpm.tnvlr1@gmail.com) |
| 28 | ऋषिकेश | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  रोग निदान प्रयोगशाला**,** पशुलोक**,**  ऋषिकेश**,** देहरादून  उत्तराखंड-249203 | डॉ. देवेंद्र शर्मा  devendras642@gmail.c  om  8937001273 | डॉ. प्रसून दुबे  prasoon.dubey@ rediffmail.com  9411558046 | dirahuk@gmail.com |
| 29 | शिमला | उप निदेशक (पैथोलॉजिस्ट) एवं प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  पशुपालन विभाग**,** राज्य पशु चिकित्सा अस्पताल कैंपस कार्ट रोड**,** शिमला**,** हिमाचल प्रदेश-171001 | डॉ. यू.के. शर्मा  uppinderkumar@gmail .com  9418185508 |  | dd-epid-hp@nic.in |
| 30 | शिलांग | प्रभारी अधिकारी**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  पशुपालन और पशु चिकित्सा  विभाग**,**  लुमडिएन्जरी**,** शिलांग**,**  पूर्वी खासी हिल्स जिला**,**  मेघालय- 793 002 | डॉ. लॉरेटा डीखार  9436119910 | डॉ. एच. काइलाhosterkylla123@ yahoo.com 9863316850 |  |
| 31 | तिरुवनंतपुरम | मुख्य रोग जांच अधिकारी**,**  मुख्य रोग जांच कार्यालय**,**  एफएमडी सहयोग केंद्र**,**  पलोडे**,** पाचा पी.ओ.**,**  तिरुवनंतपुरम  केरल-695562 | डॉ. एल. राजेश  rajeshvety@yahoo.co m  Mob:9446379249 | डॉ. अबीना बी.  abeenaabeena.b @gmail.com  9497874430 | cdiopalode@yahoo.co.i n  cdio.ahd@kerala.gov.in |
| 32 | विजयवाड़ा | संयुक्त निदेशक (एएच) एवं प्रभारी अधिकारी  एफएमडी सहयोग केंद्र  पशु चिकित्सा जैविक एवं अनुसंधान  संस्थान**,** लब्बिपेट**,** विजयवाड़ा**,**  आंध्र प्रदेश-520010 | डॉ. एल रत्ना कुमारी  मोबाइल: 9989998027 | डॉ. वाणी श्री6281791433 | adfmdvbriap@gmail.com  jdvbrivijayawada@gmail.com |

## अनुबंध-16: प्रमुख पशुधन रोगों, टीकाकरण कार्यक्रम और उनके प्रभावों का सारांश

| **क्र. सं.** | **रोग का नाम** | **संवेदनशील पशु** | **टीकाकरण की आवृत्ति** | **रोग का प्रभाव** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) | * गोपशु * भैंस * भेड़ * बकरी * सूअर | * प्रत्येक 6 महीने में * बछड़ों-बछियों को 4-5 महीने में प्राथमिक टीकाकरण, 4 सप्ताह बाद बूस्टर टीकाकरण * तकनीकी सलाह के अनुसार, वर्तमान में, गोपशुओं और भैंसों का टीकाकरण किया जाता है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में बकरी और भेड़ प्रवासी झुंड हैं, उन्हें भी टीका लगाया जाता है। | अत्यधिक संक्रामक और आर्थिक रूप से हानिकारक |
| 2 | ब्रुसेलोसिस | * गोपशु * भैंस | * **जीवन में केवल एक बार** * **केवल बछिया** | जूनोटिक (मनुष्यों में फैलता है); पुनः टीकाकरण की आवश्यकता नहीं |
| 3 | *पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर)* | * भेड़ * बकरी | * वार्षिक | अत्यधिक संक्रामक; झुंड की उत्पादकता को प्रभावित करता है |
| 4 | क्लासिकल स्वाइन फीवर | * सूअर | * 3-4 सप्ताह के बाद बूस्टर, **फिर हर 6-12 महीने में** | यदि इसे रोका न जाए तो बड़े पैमाने पर सूअरों की मृत्यु हो सकती है |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***